रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 30 जनवरी, 2021 ई० (माघ 10, 1942 शक संवत्) [संख्या 5

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	167–190	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	121–148	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	9–12	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	141–186	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

24 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1851/दो-1-2020-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे :

1—डा0 गुरदीप सिंह, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1985)

2—श्री हेमन्त कुमार, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2008)

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

अनुभाग-5

नियुक्ति

18 जनवरी, 2021 ई0

सं0 35/दो-5-2021-19(3)/2016—मेघालय शासन के नोटीफिकेशन संख्या PER.-36/2011/Pt./128-F, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 द्वारा डा0 पूजा पाण्डेय, आई0ए0एस0-2008 (असम-मेघालय कैडर) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,000-2,15,900 (पे मेट्रिक्स में लेवल-13) में दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

2—उत्तर प्रदेश संवर्ग में वर्ष, 2008 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,000-2,15,900, (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) की स्वीकृति दिनांक 01 जनवरी, 2021 को प्रदान की गयी है। डा0 पूजा पाण्डेय, जुलाई, 2017 से उत्तर प्रदेश राज्य में अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।

3—अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल डा0 पूजा पाण्डेय, आई0ए0एस0-2008 (असम—मेघालय कैडर) को दिनांक 01 जनवरी, 2021 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,000-2,15,900, (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

28 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 695/43-1-2020-62(1)/95टीसी—उ0प्र0 कार्यालय निरीक्षण सेवा नियमावली, 1990 के नियम 5 (3) के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, प्रयागराज को वेतन बैण्ड 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10, वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 में दिनांक 07 मई, 2016 से उनकी सेवानिवृत्त की तिथि 30 जून, 2017 तक अस्थाई रूप से उप मुख्य निरीक्षक के रिक्त पद पर प्रोन्नति (नोशनल प्रोन्नति) प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग

अनुभाग-2

सेवानिवृत्ति

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 आडिट-2-1210-दस-2020-360(5)/2020—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी दिनांक 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित तिथि के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे :

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री शिव प्रसाद गर्ग	उप निदेशक	07-06-1961	30-06-2021
2	श्री अबुल फजल	उप निदेशक	12-12-1961	31-12-2021

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

सेवानिवृत्ति

01 जनवरी, 2021 ई0

सं0 01(अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 2966/(अधि0)वि0प0-267/84 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के क्रम में श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता, विशेष सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के अपरान्ह् से सेवानिवृत्त हो गये।

नियुक्ति

12 जनवरी, 2021 ई0

सं0 74/(अधिष्ठान) वि0प0-20/12—श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति होने के फलस्वरूप रिक्त हुये संयुक्त सचिव के अस्थायी पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु0 1,23,100-2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-ख) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर मानीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा श्री राजेश सिंह, उपसचिव को संयुक्त सचिव के अस्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु0 1,23,100-2,15,900) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर नियुक्त किया जाता है।

सं0 72/(अधिष्ठान) वि0प0-20/12—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के विशेष सचिव के अस्थायी पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु0 1,31,100-2,16,600) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-ख) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर मानीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव को विशेष सचिव के अस्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु0 1,31,100-2,16,600) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर नियुक्त किया जाता है।

सं0 73/(अधिष्ठान) वि0प0-20/12—श्रीमती रीता अरोड़ा, प्रमुख प्रतिवेदक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुये प्रमुख प्रतिवेदक के स्थायी पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु0 1,23,100-2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-ख) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर मानीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा श्री नरेश जायसवाल, मुख्य प्रतिवेदक को प्रमुख प्रतिवेदक के स्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु0 1,23,100-2,15,900) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

पदोन्नति

01 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1202/छः पु0से0-2-20-522(99)/2020—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम—4 में अंकित तिथि या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 15, रु0 1,82,200-2,24,100) पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	बैच	पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	श्री ए0 सतीश गणेश	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021
2	श्री ज्योति नारायण	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021
3	श्री नवनीत सिकेरा	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021
4	श्री विजय प्रकाश	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021
5	श्री विजय सिंह मीना	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021 (30-06-2021 तक अस्थायी रूप से)
6	डा0 एन0 रविन्दर	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021 (31-08-2021 तक अस्थायी रूप से)
7	श्री अमिताभ यश	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021 (30-09-2021 तक अस्थायी रूप से)

2—उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

न्याय विभाग

(नियुक्तियां)

अनुभाग-3

नियुक्ति

11 जनवरी, 2021 ई0

सं0 एन-633/सात-न्याय-3-20-924(11)/2008—नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय श्री बाल कृष्ण पाण्डेय, तहसील हरैया, जनपद बस्ती को दिनांक 11 जनवरी, 2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रुल्स-1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि उक्त श्री बाल कृष्ण पाण्डेय, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाय।

सं0 एन-633/सात-न्याय-3-20-924(11)/2008—नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव, तहसील हरैया, जनपद बस्ती को दिनांक 11 जनवरी, 2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रुल्स-1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि उक्त श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाय।

सं0 एन-633/सात-न्याय-3-20-924(11)/2008—नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय श्री श्याम नारायण सिंह, तहसील रूधौली, जनपद बस्ती को दिनांक 11 जनवरी, 2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रुल्स-1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि उक्त श्री श्याम नारायण सिंह, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाय।

सं0 एन-633/सात-न्याय-3-20-924(11)/2008—नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, तहसील भानपुर, जनपद बस्ती को दिनांक 11 जनवरी, 2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रुल्स-1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि उक्त श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाय।

सं0 एन-633/सात-न्याय-3-20-924(11)/2008—नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील भानपुर, जनपद बस्ती को दिनांक 11 जनवरी, 2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रुल्स-1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि उक्त श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाय।

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।

श्रम विभाग

अनुभाग-6

विज्ञप्ति

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1397/36-6-2020-50(सा0)/2020—डा0 (श्रीमती) बबीता कुमारी, विशेषज्ञ, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, सर्वोदयनगर, कानपुर के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2020 एवं 18 सितम्बर, 2020 द्वारा निम्नानुसार स्थायी पता परिवर्तित करने एवं पति का नाम सेवा अभिलेखों में अंकित कराने का अनुरोध किया गया है :

पूर्व अंकित पता	संशोधित/परिवर्तित किये जाने का पता
डा0 (श्रीमती) बबीता कुमारी, पुत्री श्री सुरेन्द्र नाथ, निवासी-152, शाहकमर, इटावा, उ0प्र0	डा0 (श्रीमती) बबीता कुमारी, पत्नी डा0 राजनाथ यादव, निवासी-ग्राम व पोस्ट-फूलपुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0, पिन कोड-221206

2–प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-31 में निहित व्यवस्थान्तर्गत उपर्युक्तानुसार स्थायी पता परिवर्तित करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त उनके पति का नाम सेवा अभिलेखों में अंकित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय आदेश

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 3549/सत्ताईस-1-2020-35/2020–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 सिविल संवर्ग के श्री विनोद कुमार, प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर पदस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त तैनाती का आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा।

सं0 3637/सत्ताईस-1-2020-35/2020–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 सिविल संवर्ग के श्री मुश्ताक अहमद, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (वर्तमान में विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन) को प्रमुख अभियन्ता (सिविल) (वेतनमान रु0 67,000-79,000 पे-मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये श्री मुश्ताक अहमद को प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर पदस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त तैनाती का आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा।

अनुभाग-12

कार्यालय ज्ञाप

13 जनवरी, 2021 ई0

सं0 2/2021/456/27-12-2021-9(70)/2003–विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीन ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना में कार्यरत निम्नलिखित भूमि संरक्षण अधिकारियों को चयन वर्ष 2017-18 एवं 2019-2020 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष उप निदेशक (वेतनमान रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे रु0 6,600, पे-मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

चयन वर्ष 2017-18

क्र0 सं0	ज्ये0 क्रमांक	नाम सर्वश्री
1	76	गोकुल राम

चयन वर्ष 2019-20

क्र0 सं0	ज्ये0 क्रमांक	नाम सर्वश्री
1	85	मूलचन्द सैनी

2–उक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।
3–उक्त अधिकारियों के उप निदेशक के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

03 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 2550 (510)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-510 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000060624) (ओ0बी0सी0) श्री नवीन कुमार जायसवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी-वार्ड नं0-14, म0नं0-269, लेन-3, राघव नगर, देवरिया, उ0प्र0-274001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अड्डा बाजार, महराजगंज में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, महराजगंज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (364)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-364 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000068167) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री शुभम शांडिल्य पुत्र श्री दिनेश कुमार शांडिल्य, निवासी-1284, ब्रह्मपुरी, मेरठ सिटी, जिला—मेरठ, उ0प्र0-250002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अटेरना, बुलन्दशहर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (248)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-248 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000301248) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री देवराज सिंह पुत्र श्री अवध राज सिंह, निवासी-तितौवा, खलीलाबाद, जिला–संतकबीरनगर, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पूरबगांव, प्रतापगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (312)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-312 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000172141) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सानिका प्रसाद, पुत्र श्री राम प्यारे, निवासी-168, ग्राम–उसरहा, पोस्ट–भाऊकुआं, जिला–अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224149 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, करखिया, आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (276)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त

संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-276 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000271974) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री धनंजय कुमार सिंह, निवासी-746, नई कालोनी, महुअरिया, जिला–मिर्जापुर, उ0प्र0-231001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बुर्जनत्थू, फिरोजाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फिरोजाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (372)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-372 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000245659) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री बृजेश कुमार, पुत्र श्री द्वारिका नाथ गुप्ता, निवासी-SH-15/244 A-4, कमच्छापुरी कालोनी, शिवपुर, जिला—वाराणसी, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भदरौली, आगरा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आगरा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना

देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (321)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-321 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000209995) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री विनोद पाल, पुत्र श्री राम केवल पाल, निवासी-ग्राम पैगापुर, पोस्ट—गद्दौपुर (मझॅवा), जिला—अयोध्या, उ0प्र0-224001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मनकापुर, गोण्डा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोण्डा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (474)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-474 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000169633) (ओ0बी0सी0) श्री दाता राम, पुत्र श्री शर्मा सिंह, निवासी-ग्राम नंगला खादर, पोस्ट–सोहत, तहसील–हसनपुर, जिला–अमरोहा, उ0प्र0-244242 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हसनपुर, अमरोहा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (496)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-496 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000355355) (ओ0बी0सी0) श्रीमती प्रियंका प्रजापति, पत्नी श्री परमेन्द्र कुमार प्रजापति, निवासी-54,

ग्राम व पोस्ट–फतेहपुर, अटवा नं0-1, जिला–गाजीपुर, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भौली, हमीरपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (408)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-408 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000154215) (ओ0बी0सी0) सुश्री सौम्या साहू, पुत्री श्री सन्तोष कुमार साहू, निवासी-293/1048, पुराना हैदरगंज, लखनऊ, उ0प्र0—226003 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बन्डा, शाहजहांपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (451)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-451 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000361596) (ओ0बी0सी0) श्रीमती सीमा यादव, पत्नी श्री योगेन्द्र प्रताप यादव, निवासी-466, पूरे कलूट सिंह, मजनाई, आंशिक मजनाई, मिल्कीपुर, जिला अयोध्या, उ0प्र0–224158 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सांकुर, अलीगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अलीगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (235)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-235 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000017029) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री ज्योति, पुत्री श्री कमलेश कुमार, निवासी-C/o राम अवतार राम (मास्टर जी), पट्टी—बहोरिक राय, ग्राम व थाना—रेवतीपुर, जिला गाजीपुर, उ0प्र0—232328 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बांसाडीह, बलिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (214)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-214 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000040675) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री खुश्बू, पुत्री श्री नूरउद्दीन, निवासी-मुहल्ला-

गोपालगंज, मऊरानीपुर, जिला झांसी, उ0प्र0–284204 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चकराजमल, बिजनौर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बिजनौर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या

11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (489)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-489 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000170869) (ओ0बी0सी0) सुश्री प्रियंका सिंह, पुत्री श्री जगदीश सिंह, निवासी- कैलहट बाजार, पोस्ट—पचेवरा चुनार, जिला मिर्जापुर, उ0प्र0—231305 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सपही टइवा, कुशीनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कुशीनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–44 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 जनवरी, 2021 ई० (माघ 10, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

November 27, 2020

No. 2175/Admin.(Services)-2020–Sri Ravindra Kumar Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Moradabad in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

No. 2176/Admin.(Services)-2020–Sri Rakesh Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Shravasti to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Shravasti in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

November 28, 2020

No. 2177/Admin.(Services)-2020–Sushri Shipra Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Chandauli is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Chandauli *vice* Sushri Ambika Mehrotra.

No. 2178/Admin.(Services)-2020–Sushri Ambika Mehrotra, Judicial Magistrate, First Class, Chandauli to be Civil Judge (Junior Division), Chandauli *vice* Sushri Siddiqui Saima Jarrar Alam.

No. 2179/Admin.(Services)-2020–Sushri Siddiqui Saima Jarrar Alam, Civil Judge (Junior Division), Chandauli to be Civil Judge (Junior Division), Chakia (Chandauli) *vice* Sri Vipin Yadav.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Chakia (Chandauli).

No. 2180/Admin.(Services)-2020–Sri Vipin Yadav, Civil Judge (Junior Division), Chakia (Chandauli) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Chakia (Chandauli) in the newly created court created vide

G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06-07-2016.

No. 2181/Admin.(Services)-2020–Sri Narendra Kumar Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Chandauli to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Chandauli for trying cases of crime against women *vice* Sri Kunwar Suryasen Singh.

No. 2182/Admin.(Services)-2020–Sri Kunwar Suryasen Singh, Civil Judge Junior Division (Fast Track Court), Chandauli to be Additional Civil Judge (Junior Division), Chandauli.

No. 2183/Admin.(Services)-2020–Sri Tushar Jaiswal, Additional Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Jalaun at Orai *vice* Sushri Richa Awasthi.

No. 2184/Admin.(Services)-2020–Sushri Richa Awasthi, Judicial Magistrate, First Class, Jalaun at Orai to be Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai *vice* Sri Arnav Raj Chakravorty.

No. 2185/Admin.(Services)-2020–Sri Arnav Raj Chakravorty, Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai to be Additional Civil Judge (Junior Division), Jalaun (Jalaun at Orai) in the court shifted from district headquarter Jalaun at Orai, created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06-07-2016.

December 02, 2020

No. 2186/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 35/2020/1811/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated November 27, 2020, Sri Rajaneesh Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional Principal Judge, Family Court, Lucknow.

No. 2187/Admin.(Services)-2020–Sri Abhai Srivastav, Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

No. 2188/Admin.(Services)-2020–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Vivek Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Etawah, till new District & Sessions Judge, assumes charge of his office.

No. 2189/Admin.(Services)-2020–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Shaila, Additional Principal Judge, Family Court, Gautam Buddha Nagar, till Principal Judge, Family Court, Gautam Buddha Nagar assumes charge of his office.

December 10, 2020

No. 2190/Admin.(Services)-2020–Sri Pashupati Nath Mishra, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Special Judge, Anti-Corruption (UPSEB), Varanasi *vice* Sri Janardan Prasad Yadav.

No. 2191/Admin.(Services)-2020–Sri Janardan Prasad Yadav, Special Judge, Anti-Corruption (UPSEB), Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 2192/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 827/Do-4-2020-3(2)/93, dated December 07, 2020, Sri Sarvesh Kumar Pandey-II, Additional District & Sessions Judge, Varanasi is appointed/posted as Registrar, U. P. State Public Services Tribunal, Lucknow on deputation basis.

No. 2193/Admin.(Services)-2020–Sri Amit Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Special Judge, Anti-Corruption (UPSEB), Bareilly in the vacant Court.

No. 2194/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 829/Do-4-2020, dated December 07, 2020, Km. Nisha Srivastava, Additional Principal

Judge, Family Court, Hardoi is appointed/posted as Additional Director (Law), Directorate of Revenue & Special Intelligence, Lucknow on deputation basis.

No. 2195/Admin.(Services)-2020–Sri Narendra Kumar-V, Additional Chief Judicial Magistrate, Kasganj to be Civil Judge (Senior Division), Kasganj *vice* Sushri Archana Singh.

No. 2196/Admin.(Services)-2020–Sushri Archana Singh, Civil Judge (Senior Division), Kasganj to be Chief Judicial Magistrate, Kasganj *vice* Sri Ankur Garg.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kasganj.

No. 2197/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O. M. No. 828/II-4-2020-15(1)/2007, dated December 07, 2020, Sri Ankur Garg, Chief Judicial Magistrate, Kasganj is appointed/posted as Joint Registrar in U. P. Information Commission, Lucknow on deputation basis.

December 11, 2020

No. 2198/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. U. O.-72/Chha-Pu-9-20-332G/91T.C.-Nyay-2, dated December 07, 2020, Sri Abhay Prakash Narain, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 2 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur.

No. 2199/Admin.(Services)-2020–Sri Kamaluddin, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gorakhpur to be Special Judge, Anti-Corruption (UPSEB), Gorakhpur *vice* Sri Gyan Prakash Shukla.

No. 2200/Admin.(Services)-2020–Sri Gyan Prakash Shukla, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gorakhpur *vice* Sri Om Prakash Mishra.

He is also appointed under section 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Gorakhpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2201/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. U. O.-72/Chha-Pu-9-20-332G/91T.C.-Nyay-2, dated December 07, 2020, Sri Om Prakash Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 3 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur.

No. 2202/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. U. O.-72/Chha-Pu-9-20-332G/91T.C.-Nyay-2, dated December 07, 2020, Sri Rahul Dubey, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 4 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur.

No. 2203/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. U. O.-72/Chha-Pu-9-20-332G/91T.C.-Nyay-2, dated December 07, 2020, Sri Mohinder Kumar, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 1 (Prevention of Corruption Act), Lucknow.

No. 2204/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. U. O.-72/Chha-Pu-9-20-332G/91T.C.-Nyay-2, dated December 07, 2020, Sri Narendra Pal Singh Tomar, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 1 (Prevention of Corruption Act), Meerut.

No. 2205/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. U. O.-72/Chha-Pu-9-20-332G/91T.C.-Nyay-2, dated December 07, 2020, Sri Prabhat Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 1 (Prevention of Corruption Act), Varanasi.

December 12, 2020

No. 2206/Admin.(Services)-2020–Sri Umesh Chandra Sharma, District & Sessions Judge, Varanasi to be District & Sessions Judge, Etawah.

No. 2207/Admin.(Services)-2020–Sri Om Prakash Tripathi, District & Sessions Judge, Fatehpur to be District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 2208/Admin.(Services)-2020–Sri Ashok Kumar Singh-III, District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 2209/Admin.(Services)-2020–Sri Ram Pal Singh-II, District & Sessions Judge, Chitrakoot to be District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 2210/Admin.(Services)-2020–Sri Ravindra Nath Dubey, Presiding Officer, Commercial Court, Faizabad to be District & Sessions Judge, Chitrakoot.

No. 2211/Admin.(Services)-2020–Sri Ashok Kumar Yadav-I, Presiding Officer, Motor Accident Claim Tribunal, Unnao to be Presiding Officer, Commercial Court, Faizabad.

No. 2212/Admin.(Services)-2020–Smt. Sadhna Rani (Thakur), District & Sessions Judge, Mathura to be District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

No. 2213/Admin.(Services)-2020–Sri Yashwant Kumar Mishra, District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) to be District & Sessions Judge, Mathura.

December 22, 2020

No. 2214/Admin.(Services)-2020–On reinstatement Sri Anupam Goyal, the then Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court, Lalitpur (Under suspension attached with district headquarter at Lalitpur) to be Additional District & Sessions Judge, Lalitpur in the newly created court, created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06-07-2016.

December 31, 2020

No. 2215/Admin.(Services)-2020–Sri Abhinav Tiwari, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Faizabad to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Faizabad *vice* Sushri Suman Tiwari.

No. 2216/Admin.(Services)-2020–Sushri Suman Tiwari, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Faizabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Faizabad *vice* Sri Sarvesh Kumar Mishra.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Faizabad.

No. 2217/Admin.(Services)-2020–Sri Sarvesh Kumar Mishra, Additional Chief Judicial Magistrate, Faizabad to be Civil Judge (Senior Division), Faizabad *vice* Sri Sanjiv Kumar Tripathi.

No. 2218/Admin.(Services)-2020–Sri Sanjiv Kumar Tripathi, Civil Judge (Junior Division), Faizabad to be Chief Judicial Magistrate, Faizabad *vice* Dr. Sunil Kumar Singh-IV.

No. 2219/Admin.(Services)-2020–Dr. Sunil Kumar Singh-IV, Chief Judicial Magistrate, Faizabad to be Civil Judge (Senior Division), Lalitpur *vice* Sri Suraj Mishra.

No. 2220/Admin.(Services)-2020–Sri Suraj Mishra, Civil Judge (Senior Division), Lalitpur to be Civil Judge (Senior Division), Sonbhadra *vice* Sri Devendra Kumar-II.

No. 2221/Admin.(Services)-2020–Sri Devendra Kumar-II, Civil Judge (Senior Division), Sonbhadra to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Sonbhadra.

No. 2222/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O. M. No. 976/II-4-2020-26/2(3)/82, dated 30-12-2020, Sri Pramod Kumar Srivastava-II, District & Sessions Judge, Gorakhpur is appointed/posted as Principal Secretary, Nyay & Legal Remembrancer, Government of Uttar Pradesh, Lucknow *w.e.f.* 01-01-2021.

No. 2223/Admin.(Services)-2020–Sri Bijendra Kumar Shailat, Presiding Officer, Motor Accident Claim Tribunal, Mau to be Presiding Officer, Commercial Court, Bareilly.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

December 15, 2020

No. 117–Sri Nawab Agha (Emp. no. 2743), Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is promoted as Assistant Registrar notionally *w.e.f.* 09-09-2019 A.N. (the date his Junior Sri Sharad Chandra Agnihotri (Emp. no. 2744) has been promoted as Assistant Registrar through Notification no. 50 dated 09-09-2019) along with all consequential benefits. His name is placed above the name of Sri Sharad Chandra Agnihotri (Emp. no. 2744) in the gradation list of Assistant Registrar.

December 16, 2020

No. 118–In view of prevailing transfer policy, following 01 Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, who has been drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Section Officer
1	2	3
1	7258	Sri Ashish Verma, *Lko*.

No. 119–From the date of taking over charge, following 01 Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Section Officer in the pay scale Level-10, with the condition that his promotion shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Review Officer
1	2	3
1	7387	Sri Ashutosh Singh

By order of
Hon'ble The Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ACCOUNTS B-IV SECTION]

NOTIFICATION

December 24, 2020

No. 120–In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble The Chief Justice has been pleased to make the following amendment in 'The Allahabad High Court (Regularization of Daily Wage/Contract Labour and Co-terminus Sewaks on Group 'D' Posts) Rules, 2019':–

THE ALLAHABAD HIGH COURT (REGULARIZATION OF DAILY WAGE/CONTRACT LABOUR AND CO-TERMINUS SEWAKS ON GROUP 'D' POSTS) (AMENDMENT) RULES, 2020.

1. Title and commencement–(i) These Rules may be callled 'The Allahabad High Court (Regularization of Daily Wage/Contract Labour and Co-terminus Sewaks on Group 'D' Posts) (Amendment) Rules, 2020';

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Definition–The Rules mean ''The Allahabad High Court (Regularization of Daily Wage/Contract Labour and Co-terminus Sewaks on Group 'D' Posts) Rules, 2019''.

3. Amendment in Sub-rule (1) (a) of Rule 4 A–The provision of Sub-rule of (1) (a) of Rule 4 A shall be substituted as under :

Existing Rule	**Amended Rule**
1(a) was directly appointed/engaged as daily wage/contract labour or co-terminus sewak in the establishment of the High Court and has completed 5 years of satisfactory service and is continuing as such on the date of commencement of these rules; and	1(a) was directly appointed/engaged as daily wage/contract labour or co-terminus sewak in the establishment of the High Court and has completed 5 years of satisfactory service and is continuing **(deleted)**; and

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

22 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 875/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम आरी परगना व तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ड़-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-1036 ग रबवा 0.619 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत 1,02,400.00 रु0 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		आरी	1036-ग	हेक्टेयर 0.619 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.160		

सं0 876/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम ढुडैंया परगना व तहसील महोबा जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ड़-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-423 मि0 रबवा 0.172 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत 1,76,800.00 रु0 (एक लाख छिहत्तर हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		ढुडैंया	423मि0	0.172 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.160		

सं0 877/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बिलखी परगना व तहसील महोबा जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ड़-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-876 रबवा 0.715 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत रु0 2,24,000.00 (दो लाख चौबीस हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था

पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव / मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		बिलखी	876	0.715 में से 0.360	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.360		

सं0 878 / डी0एल0आर0सी0-12ए-परिवर्तन / 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम बम्हौरी कुर्मिन (ग्राम पंचायत बम्हौरी कुर्मिन) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम-बम्हौरी कुर्मिन (ग्राम पंचायत बम्हौरी कुर्मिन) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की भूमि से निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	महोबा	कुलपहाड़	बम्हौरी कर्मिन	176	0.41 में से 0.130	श्रेणी-6-(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो खलिहान के स्थान पर श्रेणी 5-(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	60	0.130 सम्पूर्ण	श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि(बंजर) के स्थान पर श्रेणी 6-(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो खलिहान।

सं0 879 / डी0एल0आर0सी0-12ए-परिवर्तन / 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम मसूदपुरा (ग्राम पंचायत मसूदपुरा) तहसील कुलपहाड़

जनपद महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम-मसूदपुरा (ग्राम पंचायत मसूदपुरा) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की भूमि से निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	जहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	महोबा	कुलपहाड़	मसूदपुर	341	0.393	श्रेणी–6–(2) जो अकृषित भूमि (खलिहान) के स्थान पर श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर) व श्रेणी-1 कृषि योग्य भूमि नवीन परती	133/2 225/2 541 273/2 61	0.117 0.053 0.065 0.041 0.097	श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि(बंजर) व श्रेणी-1 कृषि योग्य भूमि नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6(2) आकृषित भूमि-(खलिहान)।
							योग. .	0.413	

सं0 880/डी0एल0आर0सी0-12ए-परिवर्तन/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का पयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम लोहर गांव (ग्राम पंचायत लोहर गांव) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम-लोहर गांव (ग्राम पंचायत लोहर गांव) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की भूमि से निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	जहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	महोबा	कुलपहाड़	लोहार गांव	348	0.518 में से 0.160	श्रेणी-6-(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (खलिहान) के स्थान पर श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	351/ 359	0.121 0.061	श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि(बंजर) के स्थान पर श्रेणी 6-(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (खलिहान)।
							योग. .	0.182	

सं0 881/डी0एल0आर0सी0-12ए-परिवर्तन/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम कोटरा (ग्राम पंचायत कोटरा) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम-कोटरा (ग्राम पंचायत कोटरा) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की भूमि से निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	जहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	महोबा	कुलपहाड़	कोटरा	608	0.400 में से 0.160	श्रेणी–6–(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (खलिहान) के स्थान पर श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	489/2	0.206	श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि(बंजर) के स्थान पर श्रेणी 6-(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (खलिहान)।

सं0 882/डी0एल0आर0सी0-12ए-परिवर्तन/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम नैपुरा (ग्राम पंचायत नैपुरा) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम-नैपुरा (ग्राम पंचायत नैपुरा) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की भूमि से निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	जहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	महोबा	कुलपहाड़	नैपुरा	167	0.781 में से 0.251	श्रेणी–6–(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (खलिहान) के स्थान पर श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	714/1	0.324 में से 0.251	श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि(बंजर) के स्थान पर श्रेणी 6-(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (खलिहान)।

सं0 883/डी0एल0आर0सी0-12ए-परिवर्तन/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम लोदीपुरा (ग्राम पंचायत लोदीपुरा) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम-लोदीपुरा (ग्राम पंचायत लोदीपुरा) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की भूमि से निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	जहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	महोबा	कुलपहाड़	लोदीपुरा	89	0.348 में से 0.070	श्रेणी–6–(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो रोहनिया के स्थान पर श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	231	0.097 में से 0.070	श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि(बंजर) के स्थान पर श्रेणी 6-(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो रोहनिया।

27 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 949/डी0एल0आर0सी0-12ए-परिवर्तन/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सेठवारा (ग्राम पंचायत सगुनिया माफ) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम-सेठवारा (ग्राम पंचायत सगुनिया माफ) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की भूमि से निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	महोबा	कुलपहाड़	सेठवारा	92	0.425 में से 0.160	श्रेणी–6–(2) अकृषित भूमि (खलिहान) के स्थान पर श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर) व पुरानी परती	185-घ 68 योग. . 65 69 योग. . कुल योग.	0.85 0.020 0.105 0.020 0.036 0.056 0.161	श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि(बंजर) व पुरानी परती के स्थान पर श्रेणी 6-(2) जो अकृषित भूमि (खलिहान)।

सं0 948/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि ग्राम बिलहरी परगना व तहसील महोबा जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ड़-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-507/मि0 का रबवा 0.202 हे0 में से 0.185 हे0 व 507/5 रकबा 0.100 हे0 सम्पूर्ण कुल रकबा 0.302 हे0 दो किता में से 0.285 हे0 मालियत रु0 1,89,525.00 (एक लाख नवासी हजार पांच सौ पचीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	बिलरही	507/मि0	हेक्टेयर 0.202 में से 0.185 व 0.100 सम्पूर्ण	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.285		

24 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 910/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि ग्राम लिलवाही परगना व तहसील महोबा जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ड़-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-549/रबवा 0.741 हे0 में रकबा 0.114 हे0 मालियत रु0 75,810.00 (पचहत्तर हजार आठ सौ दस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही

कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	लिलवाही	549	हेक्टेयर 0.741 में से 0.114	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना के जल शोधन संयत्र (डब्लू0टी0पी0) की स्थापना।

सं0 911/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम रतौली परगना व तहसील महोबा जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ड़-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-614/रबवा 1.175 हे0 में रकबा 0.250 हे0 मालियत रु0 2,25.000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संख्या किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	रतौली	614	हेक्टेयर 1.157 में से 0.250	श्रेणी 5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

22 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1275/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम पिपरामाफ, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ड़-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-1585/18 रबवा 2.517 हे0 में से रकबा 0.165 हे0 मालियत रु0 1,09,725.00 (एक लाख नौ हजार सात सौ पच्चीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	पिपरामॉफ	1585/18	2.517 में से 0.165	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 1276/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बरा परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ड़ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-508/3 रबवा 2.278 हे0 में से रकबा 0.480 हे0 मालियत रु0 3,19,.200.00 (तीन लाख उन्नीस हजार दो सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था

पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	बरा	508/3	हेक्टेयर 2.278 में से 0.480	श्रेणी 5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.480		

सं0 1277/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बरबई, परगना व तहसील व जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ड़-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-564/1 रबवा 0.405 हे0 में से रकबा 0.250 हे0 मालियत रु0 1,66,.250.00 (एक लाख छियासठ हजार दो सौ पच्चास रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	बरबई	564/1	हेक्टेयर 0.405 में से 0.250	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना की स्थापना हेतु।
					योग. .	0.250		

सं0 1278/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बफरेता, परगना व तहसील चरखारी जनपद महोबा में 0.360 हे0 भूमि की श्रेणी परिवर्तन होकर श्रेणी-6-4-जो अन्य कारणों से अकृषित हो (गैर मुमकिन) भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-210 रकवा 2.901 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत रु0 3,33,.000.00 (तीन लाख तैंतीस हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी		बफरेता	210	2.901 में से 0.360	श्रेणी 6-4-जो अन्य कारणों से अकृषित हो (गैर मुमकिन)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलैया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.360		

सं0 1279/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम धवारी परगना व तहसील चरखारी जनपद महोबा में 0.160 हे0 भूमि की श्रेणी परिवर्तन होकर श्रेणी-5-1-कृषि योग्य भूमि बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या-300मि0 रकवा 0.160 हे0 में मालियत रु0 92,.800.00 (बानवे हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के

लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		धवारी	300-मि0	हेक्टेयर 0.160	श्रेणी 5-1-कृषि योग्य भूमि बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.360		

सं0 1280/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम धनावन परगना व तहसील चरखारी जनपद महोबा की श्रेणी परिवर्तन होकर श्रेणी-5-3-ड़ बंजर/श्रेणी-5-1-नवीन परती (परती जदीद) भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-61 रकवा 0.809 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 3,06,000.00 (तीन लाख छः हजार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी	चरखारी	धनावन	61	हेक्टेयर 0.809 में से 0.0360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर/नवीन परती (परती जदीद)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलैया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.360		

सं0 1281/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम पिपरी परगना व तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की श्रेणी-5-3-ड़ भूमि बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या-568 रकवा 0.138 हे0 में से रकबा 0.130 हे0 मालियत रु0 83,.200.00 (तिरासी हजार दो सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	पिपरी	568	हेक्टेयर 0.138 में से 0.130	श्रेणी-5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.130		

सं0 1282/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम गाड़ौ परगना व तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की श्रेणी-6-4-भरका के खाते में अंकित खसरा संख्या-480 क्षे0 0.117 हे0 श्रेणी-5-3-ड़ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-281/2 रकवा 0.206 हे0 में से रकबा 0.080 हे0 कुल रकबा 0.197 हे0 मालियत रु0 1,26,.080.00 (एक लाख छब्बीस हजार अस्सी रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे।

उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	गाड़ौ	480 281/2	0.117 0.080	श्रेणी-6-4-भरका श्रेणी-5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.197		

सं0 1283/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बम्हौरी कुर्मिन, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा की खलिहान भूमि का श्रेणी परिवर्तन होकर श्रेणी-5-3-ड़ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-176/3मि0 रबवा 0.130 हे0 व खसरा संख्या 182/2 क्षे0 0.121 हे0 कुल दो किता क्षे0 0.251 हे0 मालियत रु0 1,60,.640.00 (एक लाख साठ हजार छः सौ चालीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	बम्हौरी कुर्मिन	182/2 176/3-मि0	0.121 0.130	श्रेणी-5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.251		

सं0 1284/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सेठवारा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा की खलिहान श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तन होकर श्रेणी-5-3-ड़ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-92 रबवा 0.425 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत 1,02,.400.00 रु0 (एक लाख दो हजार चारः सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	सेठवारा	92-मि0	हेक्टेयर 0.425 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ड़ बंजर/पुरानी परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.160		

सं0 1285/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम लोहरगांव, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा की खलिहान श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तन होकर श्रेणी-5-3-ड़ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-348 रबवा 0.518 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,60,.000.00 (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे

अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	लोहरगांव	340	0.518 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.160		

सं0 1286/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम कोटरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा की खलिहान श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तन होकर श्रेणी-5-3-ड़ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-608 रबवा 0.400 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,60,.000.00 (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	कोटरा	608	0.400 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.160		

सं0 1287/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम मसूदपुरा परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा की खलिहान श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तन होकर खाता सं0-259 श्रेणी-5-3-ड़ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-341मि0 रबवा 0.235 व खाता संख्या 258 श्रेणी-5-1-कृषि योग्य भूमि-नवीन परती गाटा संख्या-341मि0 रबवा 0.138 हे0 कुल दो किता रकबा 0.393 हे0 मालियत रु0 2,51,.520.00 (दो लाख इक्यावन हजार पांच सौ बीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	मसूदपुर	341-मि0 341-मि0	0.235 0.138	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि श्रेणी-5-1-कृषि योग्य भूमि-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.393		

सं0 1288/डी0एल0आर0सी0-12-ए-पुनर्ग्रहण/पेयजल 2020-21 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम लोदीपुरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा की रोहनिया श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तन होकर श्रेणी-5-3-ड़ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या-89 रबवा 0.348 हे0 में से 0.070 हे0 मालियत 65,.100.00 रु0 (पैंसठ हजार एक सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर भी अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे

अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	लोदीपुरा	89	0.348 में से 0.070	श्रेणी-5-3-ड़ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग. .	0.070		

सत्येन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी,
महोबा।

कार्यालय, संभागीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर

04 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 787/पंजीयन निरस्त/2020–वाहन सं0 UP63A-7745 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 360324KTQ14379 व इंजन नम्बर 697D23JTQ146851 मॉडल 1996 वाहन जनवरी, 2014 को कबाड़ में कटकर अस्तित्व विहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री रमाकान्त सिंह सम्पूर्ण पता-प्लाट नं0-458, हरिओम नगर भगवानपुर, लंका, बी0एच0यू0, वाराणसी ने अपने प्रार्थन-पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया है कि अत्यधिक पुराना मॉडल होने के कारण वाहन को जनवरी, 2014 के कबाड़ में कटवा कर बिक्रित कर दिया गया है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्व विहीन हो गई। चेचिस का दुकड़ा जनवरी, 2014 को ही कार्यालय में प्राप्त करा दिया गया था। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 722 दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अवलेखान हेतु गठित समिति की दिनांक 25 नवम्बर,, 2020 को दी गई कर अपलेखन किये जाने की संस्तुति परक आख्या के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22 (अ) के आलोक में यान के जनवरी, 2014 को कबाड़ में कटने के निमित्त देय कर/शास्ति का अपलेखन करते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं डा0 आर0के0 विश्वकर्मा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर वाहन संख्या UP63A-7745 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से जनवरी, 2014 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूं।

एतदतर्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि जनवरी, 2014 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/संचालन भविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि जनवरी, 2014 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे।

07 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 790/पंजीयन निरस्त/2020—वाहन सं0 UP66D-9518 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 373344HVZ005534 व इंजन नम्बर 697TC55HVZ126208 मॉडल 2005 वाहन फरवरी, 2018 को कबाड़ में कटकर अस्तित्व विहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री अब्दुल हकीम, पुत्र श्री रफीक, सम्पूर्ण पता-कत्तित, विन्ध्याचल, जनपद-मिर्जापुर ने अपने प्रार्थन-पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन में दिनांक 29 मार्च,, 2016 को आग लगने के कारण संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण मार्च, 2016 को कबाड़ में कटवा कर बिक्रित कर दिया गया है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्व विहीन हो गई। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 746 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अवलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को दी गई कर अपलेखन किये जाने की संस्तुति परक आख्या के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22 (अ) के आलोक में यान के मार्च, 2016 को कबाड़ में कटने के निमित्त देय कर/शास्ति का अपलेखन करते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं डा0 आर0के0 विश्वकर्मा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर वाहन संख्या UP66D-9518 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से मार्च, 2016 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूं।

एतदतर्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि मार्च, 2016 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/संचालन भविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि मार्च, 2016 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे।

07 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 791/पंजीयन निरस्त/2020—वाहन सं0 UP63C-9443 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 41630IBYZ201177 व इंजन नम्बर 497TC85AYZ852957 मॉडल 2017 वाहन फरवरी, 2018 को कबाड़ में कटकर अस्तित्व विहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री उदयसिंह चौहान पुत्र स्व0 रामचन्द्र चौहान, निवासी—सबरी, पो0—लालडिग्गी, थाना-सदर, जिला-मिर्जापुर ने अपने प्रार्थन-पत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया है कि यान का इंजन सीज होने व बाडी अत्यन्त जीर्ण शीर्ण होने के कारण वाहन फरवरी, 2018 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी जिसके कारण फरवरी, 2018 को कबाड़ में कटवा कर बिक्रित कर दिया गया है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्व विहीन हो गई। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 696 दिनांक 07 नवम्बर, 2020 को द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अवलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को दी गई कर अपलेखन किये जाने की संस्तुति परक आख्या के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22 (अ) के आलोक में यान के फरवरी, 2018 को कबाड़ में कटने के निमित्त देय कर/शास्ति का अपलेखन करते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं डा0 आर0के0 विश्वकर्मा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर वाहन संख्या UP63C-9443 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से फरवरी, 2018 से तत्काल प्रभाव से पंजीकृत निरस्त करता हूं।

एतदतर्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि फरवरी, 2018 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/संचालन भविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि फरवरी, 2018 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे।

डा0 आर0के0 विश्वकर्मा,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
मिर्जापुर, संभाग।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

12 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 4351/जी0-42/54-81-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर के ग्राम जगबन्दनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 4438/जी0-361/60-15-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम हुसेनाबाद देहाती में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

09 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 5071/जी0-264/2020-21/धारा-6 (1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील मांट, जनपद मथुरा के ग्राम सुरीर बिजऊ बांगर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा .4क (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति सं0 1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 5072/जी0-53A/2020-21/धारा-6 (1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस के ग्राम नगलाबरी पट्टी देवरी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा .4क (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति सं0 2995/ जी0-610/2016.17 दिनांक 25 जुलाई, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

10 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 4803/जी0-216/62-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर के ग्राम खालिकाबाद उर्फ डूंगराजाट में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4804/जी0-329/58-87-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से तहसील शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर के ग्राम उर्दमी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4805/जी0-42A/81-2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के ग्राम बनगांव पट्टी उर्फ धर्मा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4806/जी0-33/2018-19(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हापुड़, जनपद हापुड़ के ग्राम हाजीपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

12 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 4824/जी0-153/67-15-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलोन, जनपद रायबरेली के ग्राम हाजीपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4825/जी0-61-B/57/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	सम्भल	चन्दौसी	1—मोहकमपुर 2—रघुनाथपुर

सं0 4826/जी0-250/64(1)-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर के ग्राम शमसपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4827/जी0-49A/54-81-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव के ग्राम चाँदपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

22 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 4504/जी0-163/2020-21/धारा-6 (1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई, जनपद हरदोई के ग्राम मानपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा -4क (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति सं0 1879/ जी0-163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

23 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 4505/जी0-161/59-15/2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरैया, जनपद बस्ती के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	बस्ती	हरैया	1—जोत आसरे तप्पा 2—पूरेहिन्दू तप्पा बेलवा

29 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 4590/जी0-175/59-91-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के ग्राम फतेहपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4593/जी0-154ए/70-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा के ग्राम उमरिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

02 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 4620/जी0-161/59-2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती, जनपद बस्ती के ग्राम भैंसहिया तप्पा देवराँव में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

29 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 4592/जी0-158-B/59/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से तहसील ताखा, जनपद इटावा के ग्राम नगला मैरहा, जोकि धारा 4क (2) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति दिनांक 24 मार्च, 2014 में नगला मैहरा के रूप में विज्ञापित किया गया, में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4591/जी0-159/61/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस के ग्राम बस्तोई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

12 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 4827/जी0-49A/54-81/2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव के ग्राम चाँदपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 4437/जी0-49A/54-81/2020—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव के ग्राम अकवाबाद में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 258/जी0-610/2018-19(4)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 4 की उप धारा (2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 3741/सी0एच0आई0ई0-454/53, दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड 'ख' में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरदोई के ग्राम तुर्तीपुर में चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने का निश्चय किया गया है—

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	हरदोई	हरदोई	बंगर	तुर्तीपुर	धारा 4-क (1)/प्रथम चक्र

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—44 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 जनवरी, 2021 ई० (माघ 10, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 07 जनवरी, 2021 ई0
17 पौष, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0–वि0स0-80/2017–**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राजशेखर सेंगर अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री राजशेखर सेंगर को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/नोटिस/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था :

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री राजशेखर सेंगर को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुये अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री राजशेखर सेंगर को दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राजशेखर सेंगर द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री राजशेखर सेंगर को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र संख्या 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/पत्र/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 18 अगस्त, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राजशेखर सेंगर द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुये न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजशेखर सेंगर विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।'';

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री राजशेखर सेंगर, निवासी हंसगढ़ी, पोस्ट हसौना, जगमोहनपुर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 07th *January*, 2021 / 17th *Pausha*, 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/80/2017–WHEREAS, the General Election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Raj Shekhar Sengar, a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/80/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Raj Shekhar Sengar, for the following defects in accounts of his election expenses :–

(i) Bill Vouchers were not presented in respect of items of election expenditure.

(ii) Bank Statement was not submitted ; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Raj Shekhar Sengar was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served on Shri Raj Shekhar Sengar on 29th December, 2018; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 07th August, 2020 that Shri Raj Shekhar Sengar, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/80/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th August, 2020, which was served on him on 31st October, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Raj Shekhar Sengar has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received

in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Raj Shekhar Sengar has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Raj Shekhar Sengar, Resident of Village-Hansgari, Post-Hasona Jagmohanpur, District-Aligarh, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–44 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–27 निर्वाचन–29-01-2021–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 जनवरी, 2021 ई० (माघ 10, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद मिलक, जनपद-रामपुर

09 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 649/मु0क0-उपविधि-06/2019–नगरपालिका परिषद् मिलक ने अपने विशेष संकल्प संख्या 07 दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा उ0प्र0, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) सूची-एक के खण्ड ञ (झ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण और प्रतिलिपि विनियमन विषयक उपविधियां बनाई है। जिन्हें आपत्ति आमंन्त्रण हेतु साप्ताहिक समाचार-पत्र स्वतन्त्र भारत सत्ता के दिनांक 05 जनवरी, 2020 के अंक में प्रकाशित कराकर 15 दिन के भीतर आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधियां उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण और प्रतिलिपि विनियमन उपविधियां

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ–(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद् मिलक जनपद रामपुर अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण और प्रतिलिपि विनियमन उपविधियां 2019 कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पालिका परिषद् मिलक के क्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगीं।

2–**परिभषाएं**–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''अनुमति'' का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत प्रदत्त अनुमति से है।

(घ) ''नगरपालिका''का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक से है।

3—अधिनियम द्वारा व्यवस्थित या उसके आधीन से भिन्न के सिवाय नगरपालिका से सम्बन्धित या उसके कब्जे में रखे किसी अभिलेख या दस्तावेज की कोई प्रति या उससे उध्दरण नहीं दिया जायेगा, न ही किसी व्यक्ति को किसी ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज के निरीक्षण की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना दी जायेगी।

4—उपर्युक्त के सिवाय, कोई व्यक्ति जो ऐसे अभिलेख या दस्तावेज का निरीक्षण करना चाहे अथवा उसकी कोई प्रति या उसके उध्दरण प्राप्त करना चाहे, अधिशासी अधिकारी को लिखित आवेदन-पत्र देगा जिसमें अभिलेख या दस्तावेज का वर्णन स्पष्ट रूप से किया जायेगा। आवेदन-पत्र पर न्यायालय फीस स्टाम्प लगाया जायेगा।

5—नगरपालिका तथा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी के बीच पत्र-व्यवहार तथा जहां अधिशासी अधिकारी के विचार में उनका निरीक्षण किसी प्रकार से नगरपालिका के हित के लिए हानिकारक हो, निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे अभिलेखों से उद्धरणों की प्रतियां भी अस्वीकार कर दी जायेंगी।

6. किसी ऐसे दस्तावेज से कोई उद्धरण नहीं दिया जायेगा जिसको शेष पत्रावली से पृथक पढ़ने पर नगरपालिका अध्यक्ष या कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश का गलत निर्वचन हो जाता है।

7—निम्नलिखित शुल्क वसूल की जायेगी—

(1) चाल कार्य वृत्त पुस्तकों और चालू कर निर्धारण सूची के अलावा अभिलेख या दस्तावेज के निरीक्षण हेतु रु0 20.00 प्रति घंटा।

(2) किसी अभिलेख की तलाश के लिये सूची रजिस्टर का निरीक्षण प्रति वर्ष की तलाश हेतु रु0 20.00 प्रति घंटा।

(3) (क) नीचे क्रम (4) में उल्लिखित के अलावा किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रतिलिपि या उद्धरण के लिये प्रति एक फुल स्केप साइज के लिये रु0 20.00।

(ख) यदि मूल अभिलेख तालिका के रुप में हो तब प्रति एक फुल स्केप साइज के लिये रु0 100.00।

(4) (क) मतदाता सूची या अभ्यर्थी सूची से प्रतिलिपि या उद्धरण के लिये प्रति एक फुल स्केप साइज के लिये रु0 30.00।

(ख) कर निर्धारण सूची से प्रतिलिपि या उद्धरण के लिये प्रति एक भवन प्रवृष्टि के लिये रु0 25.00।

(5) प्रतिलिपि प्रमाणित करने हेतु रु0 10.00।

(6) मानचित्र की प्रतिलिपि हेतु मानचित्र के आकार के अनुसार प्रतिवर्ग इंच रु0 25.00।

(7) नगरपालिका प्रस्ताव/संकल्प की प्रतिलिपि हेतु प्रतिएक प्रस्ताव/संकल्प रु0 20.00।

(8) नगर पालिका नियम, विनियम, उपविधि पुस्तक नियत मूल्य ।

केतकी देवी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, मिलक,
जनपद—रामपुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् मिलक, जनपद-रामपुर

09 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 650/मु0क0-उपविधि-09/2019—नगरपालिका परिषद्, मिलक ने अपने विशेष संकल्प संख्या 10 दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) सूची-एक के खण्ड ञ(ग)(घ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित ''नगरपालिका और राज्य सकरार की प्रबन्धाधीन सम्पत्ति का संरक्षण'' विषयक उपविधियां बनाई है। जिन्हें आपत्ति आमंन्त्रण हेतु साप्ताहिक समाचार-पत्र "स्वतन्त्र भारत सत्ता" के दिनांक 05 जनवरी, 2020 के अंक में प्रकाशित कराकर 15 दिन के भीतर आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में

कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधियां उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

नगरपालिका और राज्य सरकार की प्रबन्धाधीन सम्पत्ति का संरक्षण उपविधियां

1–**शीर्ष नाम, विस्तार एंव प्रारम्भ–(**1) यह नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद रामपुर नगरपालिका और राज्य सरकार की प्रबन्धाधीन सम्पत्ति का संरक्षण उपविधि, 2019 कहलायेगीं।

(2) यह नगर पालिका मिलक के सीमा क्षेत्र में लागू होगीं।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगीं।

2–**परिभाषायें–**जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हों, इन उपविधियों में–

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक से है।

(ग) नगरपालिका सम्पत्ति का तात्पर्य अधिनियम की धारा 116 में वर्णित नगरपालिका में निहित सम्पत्ति से है।

(घ) सरकार की सम्पत्ति का तात्पर्य नगरपालिका के नियंत्रण में राज्य सरकार की नजूल या अन्य सम्पत्ति से है।

(ङ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक के अधिशासी अधिकारी से है।

3–कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका या सरकार की सम्पत्ति में निम्न प्रकार से या अन्य प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा–

(1) किसी भवन, सड़क/मार्ग या भूमि के ऊपर किसी प्रकार का विज्ञापन,बैनर,नोटिस या पोस्टर लगाकर,

(2) किसी सड़क/मार्ग या स्थान पर लगे वृक्ष, पौधे, बाढ़ों को काटकर, तोड़कर, हटाकर या फल-फूल को तोड़कर या घास को काटकर/खोदकर।

(3) किसी सड़क/मार्ग, नाली, नाला या स्थान पर कोई पक्का निर्माण करके या कोई ढांचा या स्टाल रखकर।

(4) किसी सड़क/मार्ग, नाली, नाला को तोड़कर या काटकर,

(5) किसी सीवर लाइन, जलकल पाइप, वाटर स्टैण्ड पोस्ट को क्षति पहुंचाकर या पथ प्रकाश व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप करके।

4 (1) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका द्वारा नियत शुल्क या मूल्य या चार्जेज, राशि, जैसी स्थिति हो, अग्रिम भुगतान करने पर अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) नगरपालिका द्वारा इन उपविधियों के लागू होने पर सर्व प्रथम निम्नानुसार मदों की दरें नियत की जायेगी तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष माह मार्च में अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिये दरें नियत की जायेंगी।

[क] विज्ञापन पट्ट, पोस्टर–बैनर आदि लगाने पर शुल्क दर

[ख] वृक्ष लकड़ी, फल, फूल या घास का सार्वजनिक नीलामी द्वारा नियत मूल्य

[ग] सी0सी0, डांवर, खडंजा, पत्थर, इण्टर लाक, टाइल आदि की रोड कटिंग की अलग-अलग रोड कटिंग चार्जेज की दरें।

5—हस्तक्षेप कर्ता अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 261 के आधीन कार्यवाही की जायेगी और हस्तक्षेप का कार्य करने के कारण नगरपालिका द्वारा किये गये व्यय की वसूली और क्षति की भरपाई अपराधी से की जायेगी।

केतकी देवी
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद् मिलक
जनपद-रामपुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् मिलक, जनपद-रामपुर

09 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 651/मु0क0-उपविधि-08/2019—नगरपालिका परिषद् मिलक ने अपने विशेष संकल्प संख्या 09 दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा नगरपालिका उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) सूची-एक के खण्ड ड(ग) ञ(घ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित ''स्थावर सम्पत्ति उपयोग/अध्यासन'' विनियमन विषयक उपविधियां बनाई है। जिन्हें आपत्ति आमंन्त्रण हेतु साप्ताहिक समाचार-पत्र स्वतन्त्र भारत सत्ता के दिनांक 05 जनवरी, 2020 के अंक में प्रकाशित कराकर 15 दिन के भीतर आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधियां उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

स्थावर सम्पत्ति उपयोग/अध्यासन विनियमन उपविधियॉ

1—**शीर्ष नाम, प्रारम्भ एंव विस्तार**—(1) यह उपविधियां नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद रामपुर स्थावर सम्पत्ति उपयोग/अध्यासन विनियमन उपविधियां, 2019 कहलायेंगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगी।

(3) यह नगरपालिका परिषद्, मिलक के सीमा क्षेत्र में लागू होंगी।

2—**परिभाषायें—**जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इन उपविधियों में—

(क) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मिलक से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक के अधिशासी अधिकारी से है।

3—कोई व्यक्ति नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई कोई स्थावर सम्पत्ति, सार्वजनिक सड़क या स्थान का उपयोग या अध्यासन नीचे उपविधि 4(4) में वर्णित प्रयोजन के लिये अधिशासी अधिकारी से लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं करेगा।

4—अधिशासी अधिकारी निम्नलिखित निर्बन्धनों एंव शर्तों के आधीन रहते हुये अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं—

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सफाई व्यवस्था और यातायात के स्वतन्त्र आवागमन में अवरोध उत्पन्न न हो।

(2) चार वर्गमीटर आकार से अधिक के स्टाल या बूथ रखने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) एक बार में अधिकतम तीस दिन तक की अवधि के लिये अनुज्ञा दी जा सकती है।

(4) अनुज्ञा के लिये शुल्क निम्नानुसार अग्रिम वसूल की जायेगी। क्षेत्रफल गणना में वर्गमीटर का भाग पूरा वर्गमीटर माना जायेगा।

प्रयोगजन	शुल्क की दरें (रुपया-पैसा)
(क) गाड़ी/वाहन को माल चढ़ाने उतारने या सवारी लेने या उतारने के लिये आवश्यकता से अधिक समय तक रोकना या खड़ा करना।	10.00 प्रतिवर्गमीटर प्रति घण्टा
(ख) पशु का बाधना या गाड़ी/वाहन खड़ा करना।	2.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिघंटा
(ग) किसी वस्तु को स्टाल या बूथ पर या किसी अन्य रीति से बिक्री के लिये प्रदर्शित करना।	5.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिघंटा
(घ) कोई भवन निर्माण सामाग्री, मलवा, सन्दूक, गांठ, बंडल या व्यापारिक समाग्री जमा करना।	10.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिघंटा
(ङ) कोई बाड़ा, जंगला, खम्बा, या पाड़ खड़ा करना।	5.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिघंटा
(च) कोई अन्य उपस्कर, शामियाना, मण्डप या टैंट आदि।	5.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिघंटा

(छ) **अन्य प्रयोजन हेतु–**नगरपालिका की अनुमति से नगरपालिका द्वारा निर्धारित शुल्क की दर, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धार्मिक, सामाजिक, सांसकृतिक, और राजनैतिक सार्वजनिक समारोह के लिये अनुज्ञा निशुल्क दी जायेगी।

5–नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा अनुज्ञा की दरों से किसी समय संशोधन करने के लिये सक्षम होगी।

6–अधिशासी अधिकारी जनहित में पूर्व नोटिस दिये बिना अनुज्ञा को वापस ले सकते हैं या निरस्त कर सकते हैं ऐसी स्थिति में अनुज्ञा धारक को स्थान खाली करना होगा अन्यथा निर्दिष्ट अवधि के बाद अधिशासी अधिकारी स्वयं खाली करा लेगें और हर्जा खर्चा अनुज्ञा धारक से विधिनुसार वसूल कर लेगें और अनुज्ञा धारक द्वारा भुगतान की गई अनुज्ञा शुल्क वापस या समयोजित नहीं की जायेगी।

केतकी देवी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, मिलक,
जनपद-रामपुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद-रामपुर

09 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 652/मु0क0-उपविधि-13/2019–नगरपालिका परिषद् मिलक ने अपने विशेष संकल्प संख्या 11 दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) तथा 299 (1) अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित कर निर्धारण सूची में भवन स्वामी/अध्यासी का नामांकन/नामान्तरण विनियमन उपविधियां बनाई है। जिन्हें आपत्ति आमंन्त्रण हेतु साप्ताहिक समाचार-पत्र स्वतन्त्र भारत सत्ता के दिनांक 05 जनवरी, 2020 के अंक में प्रकाशित कराकर 15 दिन के भीतर आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधियां उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

कर निर्धारण सूची में भवन स्वामी/अध्यासी का नामांकन/नामान्तरण विनियमन उपविधियां

1–शीर्ष नाम, विस्तार और प्रारम्भ–(1) यह नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद रामपुर कर निर्धारण सूची में भवन स्वामी/अध्यासी का नामांकन/नामान्तरण विनियमन उपविधि, 2019 कहलाएगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद् मिलक के सीमा क्षेत्र में लागू होंगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगी।

2–परिभाषाएं–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इन उपविधियों में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख) ''कर निर्धारण'' सूची का तात्पर्य अधिनियम की धारा 144 के आधीन चालू भवन और भूमि कर निर्धारण अधिप्रमाणित सूची से है।

(ग) ''स्वामी या अध्यासी'' का नामांकन/नामान्तरण का तात्पर्य अधिनियम की धारा 147 (1) (क)(ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि करने से है।

(घ) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक से है।

(ड़) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक के अधिशासी अधिकारी से है।

3–कर निर्धारण सूची में भवन स्वामी/अध्यासी का नामाकंन/नामान्तरण इन उपविधियों एंव अधिनियम की धारा 147 के प्रतिबन्धों के आधीन रहते हुए अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4–(1) कोई भी व्यक्ति किसी भवन और भूमि की कर निर्धारण सूची में स्वामी/अध्ययासी के रूप मे अपना नाम दर्ज कराने के लिये किसी भी समय अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और जब तक ऐसे प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करने का कोई पर्याप्त कारण न हो। (यह अस्वीकृति लिखित में होगी) उसका नाम कर निर्धारण सूची में दर्ज कर लिया जायेगा।

(2) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ एक सौ रुपये का शुल्क दिया जायेगा।

(3) यदि इस विषय में संदेह उत्पन्न हो कि किसी भवन या भूमि के स्वामी/अध्यासी के रूप में दर्ज किये जाने का अधिकारी कौन है तो नगर पालिका इस बात का निर्णय करेगी कि इसे इस रूप में कैसे दर्ज किया जाये और यह निर्णय उस समय तक प्रवृत्त रहेगा जब तक किसी योग्य न्यायालय की आज्ञा द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाये।

5–(1) यदि किसी ऐसे भवन और भूमि कि जिस पर कर निर्धारण किया जा चुका हो अथवा इस करके भुगतान के अधीन रहते हुए स्वामित्व अधिकार हस्तान्तरण करें तो वह व्यक्ति जो अधिकार हस्तान्तरित करता है तथा वह व्यक्ति जिसे अधिकार हस्तान्तरित किये गये हो, दोनों ही इस हस्तान्तरण-पत्र के कार्यान्वित हो जाने के वाद से या उसके रजिस्ट्री के बाद से यदि रजिस्ट्री हुई हो तथा यदि हस्तान्तरण-पत्र के कार्यान्वित न हुआ हो तो भवन और भूमि को सौप दिये जाने के बाद से तीन मास के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना लिखित रूप से अधिशासी अधिकारी को देगें।

(2) यदि किसी ऐसे भवन और भूमि का जिस पर कर निर्धारण किया जा चुका है या इसके भुगतान के अधीन रहते हुए स्वामी मर जाये तो उसके जो व्यक्ति उत्तराधिकारी या अन्य रूप से सम्पत्ति में उसके अधिकारों का उत्तराधिकारी होगा वह उसी प्रकार स्वामी के मृत्यु दिनांक से तीन मास के भीतर अपने ऐसे उत्तराधिकार की सूचना अधिशासी अधिकारी को देगा।

(3) उक्त उपविधि के अधीन दिये जाने वाली सूचना में उपविधि में दिये गये सभी विवरणों का स्पष्ट और सही उल्लोख किया जायेगा।

6–यदि ऐसे किसी हस्तान्तरिति (ट्रांस्फरी) या उत्तराधिकारी से अधिशासी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाये तो वह हस्तान्तरण विलेख यदि कोई हो या रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार प्राप्त हस्तान्तरण-पत्र की सत्यापित प्रति या मृतक स्वामी के मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा उत्तराधिकार विलेख की सत्यापित प्रति नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करेगा।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अधीन प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके नगरपालिका यह निर्देश देती है कि उक्त उपविधि संख्या 5 तथा 6 का भंग किया जाना, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय तो अग्रतर जुर्माना किया जा सकेगा, जो

प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रु0 25 तक हो सकता है।

केतकी देवी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, मिलक,
जनपद-रामपुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् मिलक, जनपद-रामपुर

09 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 653/मु0क0-उपविधि-07/2019—नगरपालिका परिषद्, मिलक ने अपने विशेष संकल्प संख्या 08 दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा उ0प्र0, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) सूची-एक के खण्ड छ (क-तेरह) (ग), ज (ड), ञ (घ) तथा धारा 299 (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित ''मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री'' विनियमन विषयक उपविधियां बनाई है। जिन्हें आपत्ति आमंन्त्रण हेतु साप्ताहिक समाचार-पत्र स्वतन्त्र भारत सत्ता के दिनांक 05 जनवरी, 2020 के अंक में प्रकाशित कराकर 15 दिन के भीतर आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधियां उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री विनियमन उपविधियॉ

1—**संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ**—(1) यह नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद रामपुर मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री विनियमन उपविधियां, 2019 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, मिलक के सीमा क्षेत्र में लागू होंगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगी।

2—**परिभाषायें**—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो तो—

(क) मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री का तात्पर्य ऐसे मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री से है जिनके कार्यान्वित करने में बिजली या गैस प्रयोग की जाती है जिनमें कुट्टी मशीन, आरा मशीन, छिलाई व कटाई मशीन, बर्फ व आईसक्रीम मशीन, आटा चक्की, प्रेस मशीन, पॉलिस मशीन,रूई मशीन, खैरात मशीन, तेल एक्सपेलर आदि मशीन जिनके द्वारा वस्तुयें तैयार की जाती है या उन्हें रूप रंग दिया जाता है सम्मिलित है स्टीम,कोयला, लकड़ी, खनिज तेल चलित इंजन शक्ति का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

(ख) परिसर (प्रेमिसेज) का तात्पर्य उस भवन या भूखण्ड क्षेत्र से है जो मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री स्थापित करने के लिये प्रयोग में लाया जाये।

(ग) स्वामी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री का स्वामी अथवा प्रबन्धक हो।

3—कोई व्यक्ति नगर पालिका मिलक के सीमा क्षेत्र में इन उपविधियों में उल्लेखित प्राविधान के अनुसार लाइसेन्स प्राप्त किये बिना कोई मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री स्थापित नहीं करेगा।

4—यह उपविधियॉ उन मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री पर भी लागू होंगी जो इन उपविधियों के लागू होने से पहले स्थापित किये गये हैं।

5—इन उपविधियों के आधीन अधिशासी अधिकारी, लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

6—लाइसेन्स केवल एक वर्ष की अवधि के लिये जारी अथवा नवीकरण किया जायेगा, जो 31 मार्च को समाप्त होगा।

7—(1) लाइसेन्स नवीकरण कराने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) 31 मार्च के पश्चात् नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त रु0 50 प्रति हार्स पावर विलम्ब शुल्क देय होंगी।

8—एक परिसर पर स्थापित मशीनों/वर्कशॉप/फैक्ट्री के लिए यदि ये सब एक ही स्वामी द्वारा स्थापित किये गये हो, एक लाइसेन्स जारी किया जायेगा।

9—शुल्क—मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री की स्थापना के लिए लाइसेन्स लेने या लाइसेन्स नवीनीकरण कराने के लिये लाइसेन्स शुल्क रु0 50 प्रति हॉर्स पावर प्रतिवर्ष देय होंगी।

टिप्पणी—वर्ष के किसी भाग के लिए पूरे वर्ष की शुल्क देय होंगी तथा एक हार्स पावर का कोई भाग पूरा एक हार्स पावर माना जायेगा।

10—मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री स्थापित करने से पूर्व लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये अथवा नवीनीकरण कराने के लिये स्वामी निम्न निर्धारित फार्म पर (जो नगर पालिका से निर्धारित मूल्य पर प्राप्त किया जा सकेगा) परिसर की स्थिति के मानचित्र सहित (जिसमें परिसर के चारों ओर 30 मीटर परिधि क्षेत्र के भवनों आदि की स्थिति दर्शायी गयी हो।) प्रार्थना-पत्र देगा।

टिप्पणी—(1) उपविधि न0 4 के आधीन आने वाली मशीनों/वर्कशॉप/फैक्ट्री के लाइसेन्स लेने के लिये प्रार्थना-पत्र उपविधि संख्या 10 अनुसार दिये जायेगे।

(2) नवीनीकरण के लिये मानचित्र देना अनिवार्य नहीं होगा यदि पूर्व प्राप्त लाईसेन्स की किसी स्थिति में परिवर्तन न हुआ हो।

11—निम्नलिखित दशा में लाईसेन्स जारी नहीं किया जायेगा।

(1) यदि परिसर के चारों ओर 30 मीटर परिधि क्षेत्र में कोई मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, अस्पताल, होस्टल, स्कूल, या कालेज, जेल, सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालय स्थित हो।

(2) यदि अन्य भवन तथा परिसर के मध्य चारों ओर 10 मीटर परिधि क्षेत्र में खुला भू-खण्ड न हो।

टिप्पणी—यदि 10 मीटर क्षेत्र में स्थित निवास भवनों के स्वामी तथा अध्यासी को कोई आपत्ति न हो और स्वास्थ्य अधिकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुमति दे दे तो यह 10 मीटर खुला होने की शर्त शिथिल की जा सकती है। किन्तु ऐसी दशा में स्वामी स्वयं समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की बिना शर्त आपत्ति रहित अनुमति प्राप्त करके और मानचित्र पर उनके हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि परिसर भवन मशीनों आदि द्वारा होने वाली कम्पन को सहने के योग्य न हो।

(4) यदि कारखाना यू0 पी0 फैक्ट्री ऐक्ट के आधीन पंजीकृत होने की दसा में पंजीकरण प्रमाण-पत्र न दिया गया हो।

12—स्वामी ऐसे व्यक्ति को मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा जो किसी संक्रामक रोग तथा छूत की बिमारी से ग्रसित हो।

13—स्वामी परिसर में सफाई रखने तथा दुर्गन्धमय, गैसें व धूल आदि निकालने तथा आग बुझाने का उचित प्रबन्ध रखेगा।

14—स्वामी परिसर का कूड़ा तथा अन्य दुर्गन्धमय, गैसें व धूल आदि नगरपालिका द्वारा स्थपित स्थान पर डलवायेगा, जिसे नगरपालिका सफाई कर्मचारी सुगमता से उठाते रहें।

15—लाईसेन्स अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य प्राधिकृत अधिकारी व निरीक्षक को परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

16—स्वामी को लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा परित आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

17—(1) स्वामी बिजली शक्ति की बढ़ोत्तरी की दशा में सूचना तुरन्त लाइसेन्स अधिकारी को देगा।

(2) वर्ष के मध्य किसी बिजली मोटर की शक्ति में बढ़ोत्तरी की जाती है तो उसकी शुल्क अलग से देय होंगी।

18—स्वामी के बदलने या मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री बन्द कर देने की सूचना तुरन्त लाइसेन्सिंग अधिकारी को लाइसेन्स प्रप्तकर्ता द्वारा देनी अनिवार्य होंगी।

19—जो मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री, इन उपविधियों के अनुसार न हो अथवा परिसर का वह भाग जो मशीन रखने के लिये जीर्ण अवस्था में पाया जाये, जिससे जन-धन की हानि होने की सम्भावना हो या निकट में बसे किसी अध्यासी को आपत्ति हो तो लाइसेसिंग अधिकारी को परिस्थिति के अनुसार लाइसेंस रद्द करने या जीर्ण भाग जो निर्माण कराने, मरम्मत कराने अथवा हटवाने का आदेश देने का अधिकार होगा।

20—स्वामी अथवा प्रबन्धक द्वारा किसी उपविधि का उल्लघन करने अथवा अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने की दशा में लाइसेंस अधिकारी को लाइसेंस निलांम्बित करने, रद्द करने, मशीन को सील करने तथा मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री की तालाबन्दी करने का अधिकार होगा।

21—लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स निलम्बित करने तथा रद्द करने के विरुद्ध अपील आदेश प्राप्ति के 10 दिन के भीतर नगरपालिका को की जा सकती है।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के आधीन प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके नगरपालिका यह निर्देश देती है कि उक्त उपविधियों का भंग किया जाना, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रसर जुर्माना किया जा सकेगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो पच्चीस रुपये तक हो सकता है।

नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद-रामपुर

मशीन/वर्कशॉप/फैक्ट्री लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र

1—पिछले वर्ष का लाइसेन्स नम्बर

2—परिसर का स्थान तथा मोहल्ला वार्ड नं0 मकान सं0

3—परिसर की सीमायें (संलग्न मानचित्र के अनुसार)

उत्तर

दक्षिण

पूरब

पश्चिम

4—परिसर का क्षेत्र वर्ग मीटर

5—बिजली मोटर की शक्ति हार्स पावर

6—पावर बिजली कनेक्शन नम्बर

7—कार्य विवरण

8—परिसर के भवन व भूमि के स्वामी का नाम व पता

9—क्या कारखाना यू0 पी0 फैक्टरी ऐक्ट के आधीन आता है?

10—यू0 पी0 फैक्टरी ऐक्ट के आधीन कारखाने की पंजीकरण सं0

निरीक्षक की आख्या

स्वामी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर

नाम व पता

दिनांक

केतकी देवी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, मिलक,
जनपद-रामपुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद-रामपुर

09 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 654/मु0क0-उपविधि-05/2019—नगरपालिका परिषद् मिलक ने अपने विशेष संकल्प संख्या 06 दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा उ0प्र0, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) सूची-एक के खण्ड च(घ) और (घ घ) के अधीन प्रदत्त शाक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित ''खादय पदार्थ/मिष्ठान तैयारी एवं विक्रय'' विनियमन विषयक उपविधियां बनाई है जिन्हें आपत्ति आमंन्त्रण हेतु साप्ताहिक समाचार-पत्र "स्वतन्त्र भारत सत्ता" के दिनांक 05 जनवरी, 2020 के अंक में प्रकाशित कराकर 15 दिन के भीतर आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधियां उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

खादय पदार्थ/मिष्ठान तैयारी व विक्रय विनियमन उपविधियां

1—संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ—(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद रामपुर खाद्य पदार्थ/मिष्ठान तैयारी व विक्रय विनियमन उपविधियां, 2019 कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पालिका परिषद् मिलक के क्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगीं।

2—**परिभषाएं—** विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों में—

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''लाइसेन्स'' का तात्पर्य इन उपविधियों के अन्तर्गत स्वीकृत लाइसेन्स से है।

(घ) ''नगरपालिका''तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक से है।

(ङ) लाइसेंस अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी से है।

(च) ''खादय पदार्थ'' का तात्पर्य मानव द्वारा भोजन के लिये उपयोग किये जाने वाली (खादयान को छोड़कर) प्रत्येक वस्तु से है जिसको साधारणतः मानव भोजन के लिये स्वादिष्ट पदार्थों, मसालों के संयोजन या उपयोग से तैयार किया जाता है तथा दूध उत्पाद दही, मावा, क्रीम, मक्खन,पनीर। इसमें औषधि शामिल नहीं है।

(छ) ''मिष्ठान'' का तात्पर्य हलवाइयों, खोंचे वाले तथा तन्दूर वालों द्वारा तैयार किये गये समस्त खाघ-पदार्थ से है और इसमें मानव उपभोग के लिये अभिप्रेत नमकीन, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, समोसे, छोले, तैयार तरकारी और चाट आदि सम्मिलित है।

3—इन उपविधियों की कोई बात केवल निजी उपयोग के लिये अभिप्रेत खादय पदार्थ/मिष्ठान को बनाने या भण्डारण के लिये प्रयुक्त किसी गृह या भवन पर लागू नहीं होंगी।

4—नगरपालिका मिलक की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति जब तक कि उसको लाइसेन्स स्वीकृत न किया गया हो, कोई खाघ पदार्थ/मिष्ठान विक्रय के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा।

5—नया लाइसेन्स प्राप्त करने या लाइसेन्स नवीनीकरण कराने के लिये लाइसेन्स शुल्क निम्नानुसार देय होगी —

(क) भोजनालय, खाने का होटल, रेस्टोरेन्ट, मिष्टान भण्डार में खाघ पदार्थ या मिष्ठान विक्रय	रु0 1,000.00 वार्षिक

(ख) दुकान में खादय पदार्थ या मिष्ठान विक्रय	रु0 500.00 वार्षिक
(ग) खादय पदार्थ या मिष्ठान का पथ फेरी विक्रेता	रु0 200.00 वार्षिक

टिप्पणी–स्वीकृत लाइसेन्स उसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि तक मान्य होगा, आवेदक वित्तीय वर्ष के लिये नवीनीकरण के लिये आवेदन-पत्र माह मार्च में देना होगा।

6–इन उपविधियों के आधीन स्वीकृत किया गया लाइसेन्स निम्नलिखित शर्तों के आधीन होगा–

(1) कोई भी व्यक्ति विक्रय के लिये अभिप्रेत किसी खाद्य पदार्थ को किसी भी गन्दे पात्र में या उसके ऊपर नहीं रखेगा, अथवा ऐसे खाद्य पदार्थ लाइसेन्स अधिकारी के समाधानप्रद रुप में उचित रुप से ढके बिना प्रदर्शित नहीं करेगा, ताकि धूल, मक्खियों, धुएं, कीड़ो आदि की पहुॅच उस तक न हो सके।

(2) किसी खाद्य पदार्थ को किसी मलिन जल की नाली, धूल, शौचालय, मल गोदाम या कचरा-पेटी के निकट नहीं रखा जायेगा।

(3) संसर्गी या संक्रामक आन्त्र रोगों से पीड़ित संदिग्ध व्यक्तियों की इस व्यापार को करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सुरक्षित प्रमाणित न कर दिया जाय।

(4) खाद्य पदार्थ को तैयार करने में उपयोग किये गये समस्त तत्व अपमिश्रण से मुक्त और अच्छी कोटि के होगें। विक्रय के लिये प्रदर्शित वस्तुओं को तैयार करने में उपयोग किये गये से घटकों की गुणवत्ता का निर्णायक स्वास्थ्य अधिकारी होगा।

(5) खाद्य पदार्थ की तैयारी और बर्तनों की सफाई या ग्राहकों द्वारा पीने के लिए उपयोग किया जाने वाला जल नगरपालिका परिषद् के नल से आपूर्त अथवा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित निर्मल स्त्रोत से लिया जायेगा और स्वच्छ पात्रों में भर कर रखा जायेगा जिस पर प्रदूषण से बचाव के लिये उपयुक्त ढक्कन होगा।

(6) खाद्य पदार्थ ग्राहकों को भली प्रकार से स्वच्छ पात्रों, थाली या दोनों में प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये किसी प्रयुक्त कागज अथवा ऐसा कागज जो छपा या लिखा हो, का उपयोग नहीं किया जायगा।

(7) कोई भी विक्रेता या फेरी वाला ऐसी किसी बस्ती या अन्य प्रकाश का उपयोग नहीं करेगा जिससे उसके निर्माण या स्थिति के कारण धुआं या कालिख जमा होने की सम्भावना हो।

(8) समस्त खादय पदार्थ की दुकानों में प्रयुक्त दोनों, आदि को डालने के लिए उचित आधान की व्यवस्था की जायेगी और उसकी नियमित रुप से सफाई की जायेगी।

(9) किसी वास्तविक दुकान या भण्डार कक्ष का उपयोग आवासीय प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

(10) किसी प्रकार के मिष्ठान की तैयारी या भण्डारण किसी ऐसे भवन या स्थान पर नहीं किया जायेगा जिसको इस प्रयोजन के लिये नगरपालिका परिषद् द्वारा सम्यक् रुप से नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा स्वच्छ तथा प्रयुक्त तथा उपयुक्त रुप से अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(11) विक्रय के लिए अभिप्रेत मिष्ठान को किसी गन्दे पात्र में या उसके ऊपर नहीं रखा जायेगा अथवा मक्खियों और धूल से सुरक्षित किये बिना विक्रय के लिये प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(12) मिष्ठानों की तैयारी में प्रयुक्त समस्त पदार्थों को हानिकारक मिलावट से मुक्त और अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।

(13) किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को किसी ऐसी दुकान में नियोजित नहीं किया जायेगा जिसमें मिष्ठान बनाये या विक्रय किये जाते हों।

(14) पात्रों की सफाई करने और मिष्ठान की तैयारी में उपयोग के लिए तथा ग्रहकों द्वारा पीने के लिए रखा गया जल नगरपालिका परिषद् के नल से आपूर्त अथवा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी शुद्ध स्त्रोत से प्राप्त किया जायेगा जिसमें प्रदूषण से सुरक्षा के लिए समुचित रुप से ढक्कन की व्यवस्था हो।

(15) किसी ऐसे स्थान में किसी अलमारी, पेटी, बरतन या अन्य उपस्कर का जब कि वह गन्दी स्थिति में हो या ऐसी स्थिति में हो जो, यथा सम्भव सम्पूर्ण मिष्ठान, वस्तुओं अथवा उपयोग में लाये जाने वाले या उसके बनाने में प्रयोग किये जाने वाले संघटकों को धूल, कीड़ों या अन्य हानिकर वस्तुओं द्वारा प्रदूषण से सुरक्षा करने में विफल हो, उपयोग नहीं किया जायेगा।

(16) प्रत्येक ऐसे स्थान को समुचित रुप से प्रकाशित तथा संवातित रखा जायेगा और न्यूनतम प्रति त्रिमास उसकी पुताई की जायेगी।

(17) ऐसे किसी स्थान में किसी लैम्प या अन्य ऐसी प्रकाश का उपयोग नहीं किया जायेगा जिससे उसके निर्माण या स्थिति के कारण धुआं या कालिख निकलने की सम्भावना हो।

(18) ऐसे किसी स्थान में आचार, सिरका या तेजाब या वनस्पति पदार्थवाली अन्य वस्तुएं रखने के लिए किसी बर्तन का उपयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पत्थर,चीनी,या शीशे से निर्मित न हो, अथवा वह ताम चीनी, टीन या मुलम्मा चढ़ा बर्तन न हो।

(19) ऐसे समस्त स्थानों को नगर पालिका परिषद् द्वारा निरीक्षण के लिए व्यवसाय की अवधि के दौरान खुला रखा जायेगा और उसके अधिभोगी, नगर पालिका परिषद् द्वारा उनको जारी किये गये समस्त उचित निर्देशों को, जो इन उपविधियों के प्रयोजनों से संगत होंगे, पालन करने के लिए बाध्य होगें।

(20) नगर पालिका परिषद् की सीमाओं के भीतर विशुध्द रुप से स्थापित किये गये मिष्ठान का व्यापार करने वाले दुकानदार उसी दुकान में वनस्पति उत्पादों या तेल से बनाये गये मिष्ठान आदि को नहीं बेचेंगे उनको अंग्रेजी तथा हिन्दी में लिखा एक सूचनापट्ट लगाना होगा जिसमें उनको दुकान में बेचे जाने वाले उत्पादों के प्रकार का संकेत होगा।

7—किसी महामारी के प्रकोप अथवा व्यापकता के दौरान या उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भंग के कारण लाइसेन्स अधिकारी के विवेक पर लाइसेन्स को रद्द या निलम्बित किया जा सकता है।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के आधीन प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके नगरपालिका यह निर्देश देती है कि उक्त उपविधियों का भंग किया जाना, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रसर जुर्माना किया जा सकेगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, पच्चीस रुपये तक हो सकता है।

केतकी देवी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, मिलक,
जनपद—रामपुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मिलक, जनपद-रामपुर

09 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 655/मु0क0-उपविधि-03/2019—नगरपालिका परिषद् मिलक ने अपने विशेष संकल्प संख्या 04 दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा नगरपालिका के पूर्व संकल्प संख्या 06 दिनांक 08 सितम्बर, 2008 तथा समाचार-पत्र रामपुर ''रामपुर वाणी'' रामपुर दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 में प्रकाशित प्रस्तावित भवन निर्माण उपविधियां रदद् करके उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) सूची-एक के खण्ड क तथा ञ(घ) और 299(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित भवन निर्माण विनियमन विषयक उपविधियां बनाई है। जिन्हें आपत्ति आमंन्त्रण हेतु साप्ताहिक समाचार-पत्र "स्वतन्त्र भारत सत्ता" के दिनांक 05 जनवरी, 2020 के अंक में प्रकाशित कराकर 15 दिन के भीतर आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी अतः नगर पालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों को गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधियां उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

भवन निर्माण विनियमन उपविधियां

1—शीर्ष नाम,प्रारम्भ एवं विस्तार—(1) यह उपविधियां, नगरपालिका परिषद् मिलक जनपद-रामपुर भवन निर्माण विनियमन उपविधियां, 2019 कहलायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगर पालिका परिषद मिलक के क्षेत्र में लागू होगी।

1क—परिभाषायें—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इन उपविधियों में—

(1) नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मिलक से है।

(2) **स्वीकृति—**का अर्थ यह है कि नक्शा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो।

(3) **बाजार या मार्केट**—का अर्थ यह है कि दुकानों या स्टालों का निर्माण करने के लिए बोर्ड द्वारा किसी आरक्षित या अनुमत किये हुये स्थान या क्षेत्र से है।

(4) **भवन—**का अर्थ हर प्रकार के ढांचे से है चाहे वह किसी भी उद्देश्य और चाहे जिस प्रकार की भवन सामग्री से निर्मित किया गया हो और उस इमारत का हर भाग चाहे उसका उपयोग मानव निवास के लिए हो या न हो इसमें नींव कुर्सी पर दीवारे, चिमनी, जल निकास के लिए नालों, लगे हुए प्लेट फार्म, बरामदा, छज्जा, कार्निस या प्रोजेक्शन इमारत के किसी भाग या वहां पर लगी हुई किसी चीज अथवा कोई दीवार जो किसी भूमि या स्थान को घेरे हुये हो या उसका अभिप्राय उस घेरने से हो आदि सभी इसी के अन्तर्गत शामिल है।

(5) **सार्वजनिक भवन—**का अर्थ ऐसे भवन से है जिसका उपयोग का अभिप्राय साधारण तौर पर या कभी—कभी किसी अवसर पर गिरजाघर, इबादत, मन्दिर, मस्जिद या प्रजा के अन्य सार्वजनिक स्थान के रूप में होता हो अथवा धर्मशाला, कालेज, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक संगीत कक्ष, सार्वजनिक स्नानगार, सार्वजनिक हॉल, चिकित्सालय, होटल, जलपान गृह या भाषण अथवा उससे संलग्न सार्वजनिक सभा के किसी अन्य स्थान से हो।

(6) **छज्जा—**से अर्थ एक ढालू अथवा समानान्तर ढांचे से है जिसकी व्यवस्था धूप और वर्षा से बचने के लिए की जाती है।

(7) **दुछत्ती—**से अर्थ दो क्रमागत फर्श से है जो कमरे या उसके आधे भाग में अथवा उसके ऊपर निर्मित होता है।

(8) **निवास स्थान**–से अर्थ एक भवन या उसके एक भाग जिसकी डिजाईन का उपयोग पूर्ण रूप से अथवा प्रधान रूप से निवास के अभिप्राय से हो।

(9) **कारखाना**–से अर्थ उस स्थान से है जो भारती कारखाना कानून 1948 के नियम जिसे जैसा समय पर संशोधन होता रहता है अनुशासित होगा।

(10) **स्वामी**–जब किसी हाते के सम्बन्ध से प्रयुक्त हों तब उसका अर्थ उस व्यक्ति से है जो उक्त हाते का किराया लेता हो अथवा यदि सम्बन्धित हाता खाली हो तो उसका किराया वसूल करने का अधिकार होता। इसमें निम्न व्यक्ति भी शामिल है–

[क] एजेन्ट या न्यासधारी जो अपने स्वामी की तरफ से किराया वसूल करता है।

[ख] प्राप्तकर्ता, कार्य निष्पादक का प्रशासक या व्यवस्थापक जिसकी नियुक्ति किसी समर्थ न्यायक्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा हुई हो, जिस पर उक्त जायदाद के स्वामी का कार्यभार हो उसके अधिकारों का उपयोग करता हो।

[ग] एजेन्ट या न्यासधारी या धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजनों में लगी हुई जायदादों का किराया वसूल करता है या उसे ये कार्य सौंपा गया है, या इनसे सम्बन्धित है, और .....

[घ] या साधिकार भोग बन्धक धारक।

(11) **कुर्सी**–से अर्थ इमारती ढॉचे के उस भाग से है, जो चारों ओर को जमीन की सतह और जमीन के ऊपर फर्श की पहली सतह के बीच होती है।

(12) **प्लाट**–से अर्थ जमीन के उस भाग से है जिस पर एक प्रमुख इमारत अपनी सहायक इमारतों के साथ अधिवासित हो या आधिपत्या का अभिप्राय हो और उक्त उपविधि के अनुसार जितना खुला स्थान वांछित है उसको मिलाकर इसका पर्याप्त एवं अनुसांगिक उपयोग होता है तथा सडक पर या निजी रास्ते पर जैसा नगर पालिका द्वारा शासकीय तौर पर स्वीकृत किया गया हो इमारत का अग्र भाग हो।

(13) **मार्ग या सड़क**–से अर्थ किसी राजमार्ग, सड़क, गली, संकुचित मार्ग, उद्यान-पथ, सीढ़ियों का रास्ता, निकास मार्ग, पक्का गोला, पगडन्डी, चौकोर मैदान या पुल, चाहे आम रास्ता हो या न हो वरना जिस पर जनता का आने जाने का पूर्ण रास्ता हो या पहुंच या निकास का मार्ग रहा हो, या किसी योजना में वर्तमान हो या प्रस्तावित हो, से है और उसमें सड़क के किनारे स्थित सभी बॉध, नाले, खाई, बरसाती पानी की नाली, पुलिया, सड़क के किनारे बनी हुई घूमने की जगहें, परिवहन जीप, सड़क के किनारे के पेड़ और झॉडियां, परिधरण दीवाले, मेड़, घेरा, ढले हुये लोहे की आड़ आदि सम्मिलित है।

(14) **प्रमाणित नक्शे**–से अर्थ भवन के सम्बन्ध में इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रेषित करने वाले नक्शों की प्रतियों एवं विवरणों से है जो उचित रूप से नगरपालिका द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित हों।

(15) **निर्माण करना**–से अर्थ भवन को प्रथम वार निर्मित करने या वर्तमान भवन को गिराकर किसी नये या संशोधित नक्शे के अनुसार पुननिर्माण करने से है।

(16) **प्रमुख परिवर्तन करना**–से अर्थ किसी वर्तमान इमारत में परिवर्तन या परिवर्द्धन करके अथवा छत, खिड़की, दरवाजे, चाहरदीवारी, सफाई एवं पानी की निकास व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से है, खिड़की का खोलना और अंदरूनी दरवाजों का लगना कोई प्रमुख परिवर्तन नही समझा जायेगा। बगीचा लगाने की कलां, सफेदी करने, रंग करने, प्लास्टर करने, टीप लगाने, दुबारा छत डालने, खिडकी की व्यवस्था करने या अन्दर आवाजाई, दरवाजों की व्यवस्था आदि में परिवर्तन करने से अर्थ प्रमुख परिवर्तन का नही होगा। इसमें निम्न बातें सम्मिलित होगीं–

[क] एक इमारत को उसके किसी भवन को जो कि मानव निवास के लिये है, उसे एक मकान में या एक से अधिक मकानों में बदलना या इसके विपरीत।

[ख] किसी इमारत को या उसके किसी एक भाग को जो मानव निवास के अनुपयुक्त हो उसे एक रहने वाले मकान में बदलना या इसके विपरीत।

[ग] मानव–निवास योग्य मकान को या उसके किसी भाग को, एक दुकान या गोदाम या कारखाने में परिवर्तित करना या इसके विपरीत।

[घ] एक इमारत को जो एक दुकान, गोदाम या कारखाने के रूप में प्रयुक्त की जा रही हो या प्रयोग में लाने का विचार हो उसे किसी एक निर्दिष्ट प्रयोजन के निमित बदलना।

[च] इमारत में किसी कमरे की ऊंचाई या क्षेत्रफल घनत्व क्षमता को घटाना या बढाना।

[छ] किसी इमारत या उसके किसी भाग को, नाचघर, शराबघर, जुआघर या इसी प्रकार के अन्य प्रयोग में बदलना।

[ज] किसी दीवाल पर जो किसी सड़क के समीप हो या उस स्थल पर हो जो कि दीवाल के मालिक की न हो दरवाजा या खिड़की बनाना अथवा दीवाल बाहर की ओर बने हुए किसी दरवाजा या खिड़की को सदैव के लिये बन्द करना।

(17) **पुनःनिर्माण करना**–से अर्थ किसी इमारत या उसके किसी भाग को पिछली बार के स्वीकृत प्लान के अनुसार ही गिराकर दुबारा अथवा बाद में बनाना।

(18) **यार्ड (सहन)**–से अर्थ निचली मंजिल में भवन और प्लाट की पार्श्ववर्ती सीमा रेखा के बीच के उस खुले हुये स्थान से है जिस पर अनाधिकृत अधिकरण अथवा किसी प्रकार के भवन जिसे उसी प्लाट पर इन उपविधियों के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से निर्मित करने की आज्ञा मिल गई हो, को छोड़कर अधिकार रहित और अवरोध रहित हो। सभी पार्श्वो का माप आगे, पीछे और बगल और पार्श्व प्लाट की सीमा या जैसी स्थिति हो और भवन के निकटतम बिन्दु जिसमें घिरी या ढकी हुई डयोडी भी शामिल है के बीच की कम से कम दूरी होगी। प्रत्येक भाग से उसी पार्श्व में प्रत्येक दूसरे भाग में पंहुचा जा सकें।

(19) **पीछे का बाडा**–से अर्थ प्लाट के पीछे बढे हुये भाग से है जिसे प्लाट सीमाओं के बीच की दूरी से मापा जाता है और पीछे की ओर की प्लाट सीमा और भवन के पीछे की ओर के भाग के बीच सीढ़ीयों बिना घेरे के छज्जे या डयोढी को छोड़कर हर प्रकार के निर्माण के बीच की न्यूनतम समानान्तर दूरी से है। कोने के प्लाट में पीछे का बाडा सड़क के समानान्तर समझा जायेगा जिस पर प्लाट का कम से कम परिमाण होगा कोने के ओर अन्दर के प्लाट में पीछे का बाडा आगे के बाड़े से प्लाट के प्रतिकूल किनारे पर होगा।

(20) **आगे का बाडा**–से अर्थ प्लाट के आगे पार्श्व बाडों की रेखाओं के बीच के बढ़े हुये भाग से है तथा मार्ग रेखा और मुख्य भवन अथवा सीड़ियों बिना बन्द किये हुये छज्जे एवं डयोढ़ी के अतिरिक्त उसके किसी निर्माण के बीच की न्यूनतम सामानन्तर दूरी से है।

(21) **पार्श्व बाडा**–से अर्थ भवन और प्लाट के किनारे की रेखा से पीछे की रेखा तक फैला होता है तथा पार्श्व सीमा रेखा और भवन के किनारे के बीच अथवा सीढियां घेर रहित छज्जे या डयोढ़ी को छोड़ कर हर प्रकार के निर्माण से न्यूनतम समानान्तर दूरी होती है।

(22) **अविकसित क्षेत्र**–से अर्थ उस क्षेत्र से है जिसका हर बड़ा भाग अविकसित हो या खाली में पड़ा हो और उसके उप विभाजन को नगर नियोजन योजना द्वारा या विकास योजना द्वारा व्यवस्थित करना हो।

(23) **वर्तमान विकसित क्षेत्र**–से अर्थ उस क्षेत्र से है जो म्युनिसिपल सीमा के अन्दर हो और जिसका एक बड़ा भाग आवास एवं व्यापार के लिये विकसित हो चुका हो तथा सड़क जल, सीवर और बिजली आदि की समस्त सुविधायें उपलब्ध हों।

2–नोटिस–प्रत्येक व्यक्ति जो निर्माण, पुननिर्माण अथवा भवन में किसी स्थान पर या उसके किसी भाग में परिवर्तन करना चाहता है या नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में किसी कुऐं का बनाना या उसका प्रसार करना चाहता है तो उसे अपने उक्त अभिप्राय का नोटिस लिखित रुप में नगरपालिका द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये हुए फार्म पर देना होगा। इस प्रकार के नोटिस के साथ प्लान और विवरण की तीन प्रतियॉ संलग्न करना होगा जैसा कि इन उपविधियों को उपविधि 4 के अन्तर्गत वंछित है। प्लान ट्रेसिंग क्लाथ पर बने होंगे।

इस प्रकार के प्लानों का एक सेट नगरपालिका के कार्यालय में परमिट देने या उसे अस्वीकार करने के बाद अभिलेख के लिये रख लिया जायेगा। यदि प्रार्थी को ऐसा अपेक्षित है तो वह पहले अपनी जनरल ड्राइंग को नगर पालिका से स्वीकृत करा सकता है।

3–सरकार की मुक्ति–इन उपविधियों के सभी उपबन्धों को जहां तक संभव होगा भारत सरकार के रक्षा विभाग को छोड़कर सभी सरकारी विभाग जो भवन बनायंगे वह प्लान के साथ में अभिप्राय को भी नगरपालिका को सूचित करेगें किन्तु कार्य आरम्भ करने के लिए परमिट की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। जहां नगरपालिका द्वारा आपत्तियां लगा दी गई हों तब विभाग को उन आपत्तियों को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना आवश्यक होगा जैसा की गवर्मेन्ट बिल्डिंग ऐक्ट, 1886 में दिया हुआ है।

सभी सरकारी विभाग प्लान के साथ निम्न सूचनाओं की जानकारी भी देगें–

(क) सड़क और भवन रेखायें।

(ख) ऊंचाई।

(ग) किसी भी योजना में निर्धारित भवन का उपयोग

4–नोटिस के साथ निम्न सूचनाएं भी रहेगीं–(क) **साइट प्लान**–परमिट के प्रार्थना-पत्र के साथ भेजे जाने वाले साइट प्लान को 64 फीट-1 इंच के पैमाने से कम नहीं खीचा जायेगा तथा उसमें निम्न बातें दिखाई जायेगीं।

[1] स्थल की सीमायें और उनकी माप तथा कोई समीपवर्ती भूमि जो उसके स्वामी की हो।

[2] पड़ोस की सड़कों से स्थल की स्थिति ।

[3] जिस सड़क पर भवन का निर्माण प्रस्तावित हो उसका नाम

[4] स्थल पर वर्तमान भवन।

[5] भवन की स्थिति तथा अन्य सभी भवनों की स्थिति,यदि कोई हो जो प्रार्थी अपनी भूमि पर निर्मित कराना चाहता है जिसका उल्लेख उपविधि (1) में हो चुका है उसका निम्न के सम्बन्ध में–

(एक) उस स्थान के क्षेत्र और ऐसी दशा जब कि स्थान को विभाजित कर दिया हो उस भाग का क्षेत्र जो प्रार्थी का हो और वह भाग जो दूसरे मालिकों का हो।

(दो) स्थल से 40 फुट के फासले के अन्दर वर्तमान सभी पास की सड़के इमारतें औरजायदादें।

(तीन) यदि स्थल से 40 फुट की दूरी के अन्दर कोई सड़क नहीं है तो निकटवर्ती वर्तमान सड़क।

(चार) उत्तरी रेखा।

(पांच) प्लाट का क्षेत्रफल कुर्सी का क्षेत्रफल, तथा प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल।

(छः) सड़कों से भवन तक तथा उन सभी इमारतों तक (यदि कोई हो) जो प्रार्थी अपनी जमीन पर निर्मित करना चाहता है पहुॅचने के साधन।

(सात) स्थल से 40 फुट की दूरी के अन्दर वर्तमान सभी इमारतों की स्थिति तथा उनकी मंजिलों की संख्या।

(आठ) पार्कशालाओं, जीनों, शौचालयों, पेशाबघरों, नालियों, हौदियों, अस्तबल,मवेशी बाड़ा, गौशाला, कूप और भवन के अन्दर के अन्य कमरों की स्थिति, प्रकार और माप।

(नौ) भवन के सामने का निर्विध्न गलियारा या रास्ता।

(दस) आगे और पीछे की चौड़ाई।

(ग्यारह) अग्र भाग तथा पीछे के हिस्से की चौड़ाई।

(बारह) वायु के निविघ्न प्रवाह, प्रकाश के प्रवेश तथा सफाई कर्मी द्वारा सफाई की व्यवस्था के लिये भवन में छोड़े जाने वाले स्थान।

(तेरह) भवन के सामने की ओर की सड़क और पार्श्व की सड़क। यदि कोई हो भवन के पीछे की ओर की सड़क की चौड़ाई।

(चौदह) इसी प्रकार अन्य विवरण जैसा नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाये।

(ख) भवन के नक्शे–जो नोटिस के साथ भवन के नक्शों,उद्विक्षेप और अनुविक्षेप को 8 फुट = 1 इंच के पैमाने से सही ढंग से खींचना चाहिये और विभिन्न प्रकार के कार्यों को ठीक तरह से दिखाने के लिये रंग देना चाहिए। इमारत में नाली की पूर्ण व्यवस्था कर देना चाहिये और उस नक्शे में भली प्रकार दिखा देना चाहिये। नक्शे में निम्न बातें सम्मिलित होंगी–

(1) ढके हुए क्षेत्र के साथ–साथ सभी फर्श में सहायक इमारतों और धरातल के नक्शे इस प्रकार के नक्शों में सहायक अंगों की लम्बाई-चौड़ाई, खिड़कियों,रोशनदानों की लम्बाई-चौड़ाई दरवाजों और सीढ़ियों की लम्बाई का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(2) आवश्यक सेवाओं उदाहरणार्थ, शौचालय, मोरी, स्नानघर आदि।

(3) अनुविक्षेप के नक्शे जिन में सीढ़ियों,धरातल की दीवालों की मोटाई और छतों की पटाव की मोटाई,धन्नियों की लम्बाई और अन्तर छत और कमरों की ऊंचाई और उपयोग में लाई जाने वाली सामाग्री का स्पष्ट उल्लेख।

(4) सभी सड़कों का सदविक्षेप।

(5) कमाये जाने वाले शौचालय, यदि कोई हो, तो उसका ब्यौरा।

(6) स्वीकृत भवन रेखा के आगे निकले हुये भाग की लम्बाई चौड़ाई।

(7) छत के ढाल और नाली की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हुये टेरेस का नक्शा।

(8) उत्तरी रेखा।

(ग) निजी जल पूर्ति और मल-मूत्र के निकास की व्यवस्था–निजी जलपूर्ति और मल-मूत्र के निकास की व्यवस्था (यदि कोई हो) के नक्शे और अनुविक्षेप।

(घ) **नक्शों पर हस्ताक्षर**–सभी नक्शों में गृह स्वामी,नगर पालिका का लाइसेन्स धारक मानचित्रक के ठीक प्रकार के हस्ताक्षर होने चाहिये और उनके नाम, योग्यता, पता और लाइसेन्स नम्बर का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

5–विवरण–नोटिस के साथ में भवन सामाग्री किस प्रकार की और किस श्रेणी की प्रयुक्त होगी इसका ब्यौरेवार और सामान्य दोनों प्रकार के विवरण नोटिस के साथ में संलग्न होंगे।

6–संविधि के अन्तर्गत बनाई हुई सरकारी एंव संसगठित संस्थाओं,के निकट स्थित भूमि के सम्बन्ध का नोटिस–भवन में निर्माण, पुनःनिर्माण या भौतिक परिवर्तन करने के अभिप्राय वाले नोटिस के सम्बन्ध में या सार्वजनिक निर्माण विभाग,फौज,नहर या दूसरे किसी द्वारा रख-रखाव की जाने वाली सड़क के किनारे या केन्द्रीय सरकार की किसी जायदाद के पास में या रेलवे प्रशासन की जायदाद के 100 फुट के अन्दर किसी कुएं को बनाने या बढ़ाने के सम्बन्ध में नोटिस की दो प्रतियां होनी चाहिये जिसके साथ में 4 नक्शे और स्थल प्लान की 3 प्रतियां संलग्न करनी चाहिये।उपर्युक्त वर्णित नक्शों के साथ नोटिस प्राप्त होने पर स्वीकृति देने के पहले नोटिस की एक प्रति प्लान के साथ नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग,फौज,नहर या अन्य सरकारी जायदाद के अधिकारी के पास या रेलवे प्रशासन के पास रिर्पोट देने के लिए भेज दी जायेगी और यह पदाधिकारी नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर नगर पालिका को उक्त प्रस्तावित निर्माण के समबन्ध में उन्हें कोई आपत्ति है या नहीं, सूचित कर देगें यदि उक्त पदाधिकारी दो सप्ताह की निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कोई सूचना नहीं प्रेषित करते हैं तो ऐसे मामलों में यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित निर्माण पर यह आज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो उन्हें कोई अपत्ति नहीं है।

7–केवल परिवर्तन के लिये नोटिस–जब नोटिस केवल भवन मे परिवर्तन करने के लिये हो तब नोटिस के साथ में केवल उसी प्रकार के नक्शे और विवरण जैसा कि आवश्यक हो होने चाहिए।

8–मरम्मत–सड़क के ओर की भवन रेखा के अन्दर इमारत की मरम्मत को छोड़कर इन उपविधियों के अनुसार किसी वर्तमान भवन में मरम्मत करने के लिये इस प्रकार का कोई नोटिस आवश्यक नहीं समझा जायेगा।

उपर्युक्त विषय में किसी नोटिस या प्लान की आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि जांच हो और कर निर्धारण के लिये नगर पालिका प्लान के साथ कार्य के बारे मे स्पष्ट उल्लेख करते हुए रजिस्टर्ड सूचना चाहता है तो वह अवश्य भेज देना चाहिये।

9–निर्माण काल में अतिक्रमण–यदि भवन के निर्माण काल में स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाने की इच्छा है तो किसी प्रकार का परिवर्तन करने के पहले नगर पालिका की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। हर व्यक्ति पर जिनके नक्शे स्वीकृत हो गये हैं या अस्वीकृत हो गये हैं निर्भर करेगा कि यदि वे भवन निर्माण काल में किसी प्रकार का रदोबदल करना चाहते हैं तो अपने संशोधित नक्शे प्रेषित करें और इस प्रकार के सभी संशोधित नक्शों के लिये जो तरीका यहां पर आगे दूसरे लेख के लिये दिया हआ है,लागू होगा।

10–शुल्क–उपविधि-2 में वर्णित कोई भी नोटिस प्रमाणित नहीं समझी जावेगी जब तक कि नोटिस देने वाला व्यक्ति निम्रतालिकानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं कर देता है और इस प्रकार किये गये भुगतान की रसीद की सही प्रतिलिपि नोटिस के साथ नहीं संलग्न कर देता है।

तालिका

वह क्षेत्र जो प्रस्तावित इमारत द्वारा धेरा जायेगा (एक वर्गफुट का अंश पूरा वर्गफुट माना जायेगा)	पहली मंजिल	दूसरी मंजिल	तीसरी मंजिल केवल शेड या बरसाती उपविधि 33 देखें
1	2	3	4
	रु0 पै0	रु0 पै0	रु0 पै0
1–900 वर्गफीट तक कवर्ड एरिया पर प्रति वर्गफुट दर	2.25	2.00	1.80
2–900 वर्गफीट से अधिक कवर्ड एरिया पर प्रति वर्गफुट दर	2.75	2.50	2.20

क–आर्हते की प्रस्तावित दीवार के लिये प्रति एक रनिंग फुट दर रु0 02.00

ख–प्रत्येक मंजिल की विधमान इमारतों के कवर्ड एरिया पर प्रति वर्गफुट दर रु0 1.15 पै0

टिप्पणी–यदि भवन परमिट नहीं निर्गमित होता है तब जो शुल्क दिया गया है वह स्वामी को वापिस नहीं दिया जायेगा वरन् उसे नगर पालिका द्वारा लगाई आपत्तियों को दूर करके अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर बिना किसी शुल्क के पुनः नक्शों को प्रेषित करने की आज्ञा प्रदान कर दी जायेगी। उपर्युक्त अवधि के बाद नये सिरे से फिर शुल्क देना पड़ेगा।

11–एक बार प्रदान की गई आज्ञा एक वर्ष तक मान्य रहेगी जिस समय तक कार्य समाप्ति प्रमाण-पत्र प्रेषित कर देना चाहिये और यदि ऐसा नहीं कर दिया गया है तो परमिट को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले पुनः प्रमाणित करा लेना चाहिये पुनः प्रमाणित कराने की प्रक्रिया उस समय लागू उपविधियों पर निर्भर करेगी।

12–भवन परमिट के अन्तर्गत जैसी कार्य की प्रगति हो परमिट रखने वाला निर्माण की निम्न अवस्थाओं को सूचित करने के लिये नगर पालिका को कार्य कारण बतायेगा।

(क) कार्य के आरम्भ होने पर।

(ख) नींव की समाप्ति पर और नींव के दीवाल निर्मित करने के पहिले।

(ग) भवन परमिट द्वारा अंगीकृत कार्य को पूर्ण समाप्ति पर और अधिकार करने के पहले।

13–निरीक्षण– प्रत्येक निरीक्षण जैसे कि उपर्युक्त उपविधि (क) और (ख) के अन्तर्गत वांछित है सूचना मिलने के सप्ताह के अन्दर किया जायेगा। प्रथम निरीक्षण में नगर पालिका अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार यह निश्चित करेगा कि भवन स्थल नक्शे के अनुसार ही स्थित किया गया है और इन उपविधियों के अनुसार जितना पार्श्व क्षेत्र आवश्यक है छोड़ा गया है। अन्तिम निरीक्षण अधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सूचना मिलने पर 21 दिनों के अन्दर किया जावेगा।

14–नक्शे के विपरीत निर्माण–नगरपालिका किसी समय भी निश्चित कर सकता है कि निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं चल रहा है या इससे उन उपविधियों के किसी प्राविधान या किसी लागू होने वाले नियमों,कानून या उपविधियों का उल्लघन हो रहा है तब वह गृह स्वामी को सूचित करेगा और आगामी निर्माण रोक दिया जावेगा जब तक सुधार न कर लिया जाये और नोटिस देकर स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाये तथा उचित रुप से पुनः निरीक्षण की प्रार्थना न कर दी जाये।

यदि गृह स्वामी निर्माण की किसी अवस्था में भी जैसा अपेक्षित है पूर्ति नहीं करता है तो नगर पालिका को अधिकार है कि वह दिये हुये भवन परमिट को रद्द करने की सूचना यदि गृह स्वामी नोटिस में दिये हुये अपने पूर्व पते पर नहीं मिलता तो उक्त निर्माण पर सुरक्षा के साथ चिपका दें । इस प्रकार नोटिस को चिपका देना गृह स्वामी को भवन परमिट को रद्द करने की सूचना देने के सम्बन्ध में पर्याप्त समझा जायेगा। इस प्रकार के निर्माण में आगे कोई कार्य नहीं किया जायेगा या आज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके बाद मान्य भवन परमिट न निर्गत किया जाये।

15–अनुमति-पत्र का खण्डन–जहां आवेदन-पत्र में कोई असत्य विवरण या किसी खास तत्व को गलत ढंग से रखा गया हो जिस पर अनुमति-पत्र आधारित है तो नगर पालिका इन उपविधियों के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्गत हुये किसी अनुमति-पत्र को रद्द कर सकता है।

16–अनुमति-पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति–नगरपालिका नक्शों एंव विवरणों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है अथवा जैसा वह आवश्यक समझे उस प्रकार संशोधन या आदेश के साथ स्वीकृत कर सकता है और उस पर नोटिस देने वाले व्यक्ति को अपने निर्णय की सूचना देगा। अस्वीकृति के मामले में नगरपालिका कारण एंव इन उपविधियों की महत्वपूर्ण प्राविधानों को उद्घृत करेगा, जिनका कि नक्शे में उल्लेख हुआ है।

17–सामग्री तथा कारीगरों की कोटि–सम्पूर्ण अथवा पुनर्निर्माण पक्का होगा और समस्त भवन निर्माण सामग्री तथा कारीगर उच्च कोटि के होगें एंव सामान्यतः सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत स्तर के अनुरुप होगा।

18–(1) आविकसित क्षेत्र के सहन (क) सामने के, बगल के तथा पीछे के सहन की चौड़ाई निम्न तालिका पर आधरित होगी जो केवल अविकसित क्षेत्र में लागू होगी।

तालिका

		आवास का क्षेत्र			बाजार का क्षेत्र		
क्र0सं0	प्लाट का क्षेत्रफल	सामने का सहन फीट	पीछे का सहन फीट	बगल का सहन फीट	सामने का सहन फीट	पीछे का सहन फीट	बगल का सहन फीट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	250 वर्गगज तक	10	12	5	10	10	नीचे (च) के अनुसार कोने वाले प्लाटों में छोड़े
2	251 से 500 वर्ग गज तक	15	20	15	10	15	
3	501 से 1000 वर्ग गज तक	20	25	10	15	20	
4	1000 वर्ग गज से अधिक	30	30	10	15	25	

दोनों क्षेत्रों में निरन्तर वृत्ताखण्ड निर्माण या बरामदा होगा।

(ख) घर चाहे अर्ध प्रथक हो या पूर्ण प्रथक उनमें बगल का सहन ऊपर दी हुई तालिका से कम नहीं होना चाहिए।

(ग) यदि पीछे के भाग में सहन देना वांछनीय न हो तो उतने ही क्षेत्र का आंगन अन्दर बनाया जा सकता है और ऐसे अन्दर के आंगन की लम्बाई चौड़ाई का परिमाण आमने-सामने की दीवालों की ऊचाई के आधे से कम नहीं होना चाहिये।

(घ) अर्ध पृथक मकानों में किस ओर सहन रखा जाय इसका निर्णय नगर पालिका द्वारा होगा।

(च) किसी सड़क और राजमार्ग की सीमा पर स्थित कोने वाले प्लाट की बगल के सहन की चौड़ाई बगल वाली सड़क पर स्थित समीपवर्ती प्लाट के लिये अपेक्षित आगे के सहन से कम न होगी।

(छ) जहां प्लाट के आकार अथवा अन्य किन्हीं परिस्थतियों के परिणाम स्वरुप सहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को अनुशासित करने वाली व्यवस्थायें लागू करना अव्यवहारिक हो जाये वहां सहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्णय नगर पालिका करेगी।

18–(2) वर्तमान विकसित क्षेत्र में सहन–ऊपर दी हुई तालिका केवल अविकसित क्षेत्रों में लागू होगी। वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन यदि किसी भी चौड़ाई के, मार्ग, सड़क या गली पर स्थित है तो उसके किनारे यदि समपूर्ण अग्रभाग में कम से कम 4 फुट चौड़ी जगह खुले रुप में छोड़ी जायेगी।यदि भवन, प्रवेश मार्ग, सड़क या आवास क्षेत्र में निहित पार्क या खुली जगह के सामने और नदी के किनारे हो तो खुले रुप में छोड़ी जाने वाली जगह 5 फुट होगी। और इस जगह पर चाहर दीवारी, चबूतरा या बाहर की ओर खुलने वाले छज्जे, जिनकी रेलिंग 3फुट से अधिक न हो, को छोड़कर किसी प्रकार का भी निर्माण न होगा। किन्तु साथ ही यदि निर्माण या पुननिर्माण के समय मकान के सामने वाली वर्तमान सड़क की चौड़ाई 12 फुट से कम है तो मकान को पीछे हटाकर बनाना होगा। ताकि सड़क 12 फुट चौड़ी हो जाये और फिर उनके बाद अपेक्षित आगे की ओर जगह छोड़ दी जाये।

18–(3) बाजार क्षेत्र के सहन–बाजार क्षेत्र में जैसा कि ऊपर की तालिका में दिया हुआ है आगे का सहन मार्ग या सड़क के दोनों ओर क्रमिक महरावों अथवा बरामदे के रुप में होगा केवल कोने के प्लाटों में बाहर की जगहें छोड़नी होगी जो इस प्रकार के बनने वाले भाग में सड़क के सामने समीपवर्ती प्लाट के लिये अपेक्षित आगे के सहन से कम न होगी।

19–ऊचाई प्रतिबन्ध–सामने की खुली जगह जिसका उल्लेख उपविधि–23 में किया गया है अनिवार्य रुप से सभी दो मंजिलों वाली इमारत में रखी जायेंगी। जिस इमारत में दो से अधिक मंजिले होंगी उसे पीछे हटाकर बनाया जायेगा ताकि उसका कोई भी भाग सड़क के दूसरे छोर से 45 के कोण से न काटें।

20–दो उपमार्गों की सीमा पर स्थित इमारत–यदि कोई इमारत विभिन्न चौड़ाईयों वाली दो या इससे अधिक उपमार्गों पर स्थित हो तो इस उपविधि के प्रयोजन के लिये उस इमारत के अग्र भाग का रुख सबसे अधिक चौड़े उपमार्ग की ओर रखा जायेगा। भवन की ऊंचाई सड़क की चौड़ाई पर आधारित होगी और सकरी गली की ओर नहीं। संकरी गली की चौड़ाई 12 फुट से कम न हो, यदि गली की चौड़ाई 12 फुट से कम है तो वहां प्रार्थी सड़क के मध्य से 6 फुट तक की जमीन नगर पालिका को दे देगा। ताकि सकरी गली की चौड़ाई 12 फुट से कम न हो।

21–प्रक्षेपण–(क) नाली के उस पार स्थित भवन तक जाने के लिये प्रवेश मार्ग की रचना छोड़कर निचली मंजिल में किसी प्रकार के प्रक्षेपण की आज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) किसी प्रकार का भी प्रक्षेपण चाहे वह चवूतरे, छज्जे या कारनिस के बराबर हों अथवा बरसाती पानी की पाइप हो या गन्दे पानी का नल हो या कोई विज्ञापन समबन्धी बोर्ड इत्यादि हों,सड़क पर या नाली पर या प्लाट की सीमाओं के बाहर किसी मार्ग पर 14 फुट की ऊंचाई के नीचे 9इंच से अधिक निकला हुआ नहीं रखा जायेगा किन्तु लम्ब रुप में लगे हुये बरसाती पानी के नलों अथवा पानी के नलों को जो सड़क के ऊपर निकले हुये होंगे स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

22–कुर्सी सम्बन्धी उपविधि–कोई भी कुर्सी या भवन का कोई भाग अथवा घर के बाहरी भाग में बने मकान निम्नलिखित से एक निश्चित सतह से एक फुट की ऊंचाई से कम नहीं होगी।

(क) सीमा स्थित उपमार्ग के मध्य भाग।

(ख) सीमा स्थित उपमार्ग के फुटपाथ।

(ग) सफाई की गली का ऊंचा भाग जिससे मकान की नाली का निर्णय होता है, या

(घ) इस प्रकार के भवन के 10 फुट की परिधि के अर्न्तगत का कोई भी भाग ऐसी जगहों में जहां पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होगी वहां नगर पालिका द्वारा स्वीकृत ऊंचाई की कुर्सी होगी।

(स) **अंदर के आंगन**–प्रत्येक आंगन की निकटवर्ती मार्ग के मध्य भाग धरातल से कम से कम 6 इंच ऊंचा रखना चाहिए तथा उसमें पानी के निकास की समूचित व्यवस्था कर देना चाहिए यदि आंगन कच्चा हो तो आंगन का धरातल निकटवर्ती मार्ग के मध्य भाग से कम से कम 6 इंच ऊंचा होना चाहिए तथा पानी के निकास की समूचित व्यवस्था से परिपूर्ण होना चाहिए। सम्मिलित आंगनों के लिए पृथक-पृथक प्रवेश मार्ग होंगे।

(न) **मोटर खानों, अस्तबल और गोदामों की कुर्सी**–मोटरखानों अस्तबल और गोदामों की कुर्सी ऊपर उल्लेखित उपविधि (क) में वर्णित निश्चित धरातल के ऊपर 6 इंच से कम नहीं होगी।

23–संवृत्त क्षेत्र–विभिन्न कोटि की इमारतों का अधिकतम संवृत्त क्षेत्र निम्नलिखित द्वारा अनुशासित होगा (कवर्ड एरिया)–(क) बाजार या मार्केट क्षेत्र का 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में नहीं बढ़ेगा परन्तु साथ ही शर्त यह है कि उसी प्लाट पर जिस पर इमारत हो पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाये।

(ख) औधोगिक क्षेत्र में स्थल क्षेत्र का 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संवृत्त क्षेत्र में नहीं बढ़ेगा।

(ग) आवास क्षेत्र में कुर्सी का क्षेत्र निम्न तालिका द्वारा नियमित होगा–

प्लाट का क्षेत्रफल	अधिकतम अनुमति योग्य संवृत्त क्षेत्र
250 वर्ग गज तक	निचली और पहली मंजिल में स्थल क्षेत्र का 66 प्रतिशत।
251 से 500 वर्ग गज तक	निचली और पहली मंजिल में स्थल क्षेत्र का 50 प्रतिशत या 133 1/3 वर्ग गज जो अधिक हो।
501 से 1,000 वर्ग गज तक	निचली और पहली मंजिल में स्थित क्षेत्र का 40 प्रतिशत या 250 वर्ग गज जो अधिक हो।
1,000 वर्ग गज से अधिक	निचली और पहली मंजिल में स्थित क्षेत्र का 33 1/3 प्रतिशत या 480 वर्ग गज जो अधिक हो।

(घ) जहां तक मिश्रित वर्ग की इमारतों का सम्बन्ध है। एक विशिष्ट वर्ग द्वारा जो विशेष मंजिल प्रयुक्त होती होगी उस वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले विशेष नियमों द्वारा संवृत्त क्षेत्र का निर्णय होगा। जहां एक ही मंजिल पर दो विभिन्न वर्गो के लोगों का अधिपत्य हो, वहां संवृत्त क्षेत्र निर्णय उसी मंजिल में उस वर्ग विशेष के लिये अवश्यकीय क्रम से खुली रखी जाने वाली जगहों के द्वारा होगा।

24–बिजली के तारों से दूरी इंण्डियन इलैक्ट्रिक एक्ट और उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों में उल्लिखित दूरी के अन्तर्गत किसी भी इमारत में बरामदा,छज्जा,सायवान या इसी प्रकार का किसी चीज का नवनिर्माण,पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन या परिवर्धन की अनुमति नही मिल सकेगी,जो इमारत और सर से

(1) हाईटेंशन एरियल लाईन बेड़ा 10 फुट लम्ब रुप 15 फुट ऊंचाई से,

(2) लो टेंशन एरियल लाईन 6 फुट लम्ब रुप 10 फुट ऊंचाई से कम हो

25–(क) निवास योग्य कमरे–मानवीय आवास के ऊपर की छत के निकटवर्ती बिन्दु के बीच की ऊचाई 11 फुट से कम न होगी किन्तु शर्त यह है कि कमरे में किसी भी बिन्दु पर कम से कम सिर के ऊपर की ऊचाई 10 फुट से कम न होगी।

निचली मंजिल में कुछ भी इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा कि फर्श से निचली छत की ऊंचाई 8 फुट से कम हो। जहां तक गैराज और आने जाने का सम्बन्ध है यह ऊंचाई 7 फुट से कम न हो।

(ख) स्नानघर,शौचालय और भण्डारघर– इस प्रकार के सभी कमरों की ऊंचाई जो मापी जाने पर फर्श से छत के निम्नतम बिन्दु तक 8 फुट से कम न होगी।

(ग) पाकशाला–जिस प्रकार निवास योग्य कमरों की ऊंचाई होगी उसी प्रकार पाकशाला की भी ऊंचाई फर्श से ऊपरी छत के निम्नतम बिन्दु तक मापे जाने पर 11 फुट से कम न हो।

(घ) टांड–इसे फर्श की सतह से 7 फुट की ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए।

26–कमरों का आकार–(क) निवास योग्य कमरे–निवास योग्य कमरों का क्षेत्रफल 100 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए और न्यूनतम चौड़ाई 8 फुट होनी चाहिये।

(ख) रसोई–प्रत्येक रसोईघर में यदि भण्डारघर भी हो तो फर्श का क्षेत्रफल 50 वर्ग फुट से कम नहीं होगा अन्यथा 60 वर्गफुट होगा और उसके किसी भाग की चौड़ाई 6 फुट से कम नहीं होगी। रसोईघर जिसका उपयोग भोजन के कक्ष के रुप में करने का उद्देश्य हो तब रसोईघर के फर्श का क्षेत्रफल 100 वर्गफुट से कम नहीं होगा और उसकी कम से कम चौड़ाई 8 फुट होगी।

(ग) स्नानागार और शौचालय–स्नानागार का परिमाण 5 फुट, 4 फुट, अथवा 20 वर्गफुट से कम न होगा। यदि स्नानागार और शौचालय मिश्रित है तो उनके फर्श का क्षेत्रफल 30 वर्गफुट से कम नहीं होगा। शौचालय के फर्श का क्षेत्रफल कम से कम 12 वर्गफुट होगा।

(घ) टांड–निवास योग्य कमरों में जिस फर्श के ऊपर टांड का निर्माण हो रहा हो उसे फर्श के क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक भाग टांड के रुप में नहीं ढका जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कमरे की हवा व्यवस्था में व्यवधान नहीं उपस्थित करेगा।

(ङ) बीच की मंजिल का फर्श– बीच की मंजिल के फर्श का परिमाण यदि उसका उपयोग निवास कक्ष के रुप में करना हो तो 100 वर्ग फुट से कम नहीं होगा।

27–प्रकाश और हवा (क) निवास योग्य कमरे और रसोई घर–मानवीय आवास के उपयोग में आने वाला प्रत्येक कमरा प्रकाश और हवा के प्रबन्ध से पूर्ण होना चाहिये। इसके लिये एक या एक से अधिक प्रसाधनों को लगाया जा सकता है जैसे कि खिड़कियां जो कि बिल्कुल खुली हवा या वरामदे में खुलती है। इनका क्षेत्रफल–

(1) फर्श के क्षेत्रफल का 1/4, दरवाजों को मिलाकर

(2) फर्श के क्षेत्रफल का 1/8, दरवाजों को छोड़कर

किन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक खिड़की का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा जिससे उसके दरवाजे पूरी तरह से ऊपर तक खोले जा सकें। इनके अतिरिक्त छत की 2 फुट की सीमा के अन्तर्गत कम से कम दो हवादान और होंगे, जिनका क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 4 प्रतिशत से कम न होगा।

कमरे का यदि कोई भाग दरवाजे से या खिड़की से 25 फुट से अधिक दूर होगा तो उस कमरे की गणना हवादार कमरों में नहीं की जायेगी।

मकान में रहने वाले कमरों में कम से कम एक कमरे में समुख वातन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। यह व्यवस्था या तो आमने-सामने की दीवारों में लगी खिड़कियों द्वारा हो या और यदि ऐसा करना संभव या उपयुक्त न हो तो समीपवर्ती दीवालों में खिड़कियों को लगाकर कर दिया जाये।

(ख) स्नानागार और शौचालय–स्नानागारों और पाखानों में प्राकृतिक प्रकाश और वायु की व्यवस्था निम्नलिखित साधनों से किसी एक के द्वारा की जायेगी–

[1] खिड़किया जिनका क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न हो और बाहर की दीवाल में स्थित हो तथा सड़क गली या सहन में खुलती हो अथवा खुले में वायु दण्ड की ओर हो तथा साथ ही साथ कम से कम 3 फुट चौड़ी हो।

[2] झरोखे जिनके निर्माण से हवा तथा प्रकाश की व्यवस्था कर दी जायेगी जैसा की उपविधि (1) में अपेक्षित है।

(ग) भंडार, पिछले कमरे तथा उसी तरह के अन्य कमरें–इनमें आवास कक्षों की अपेक्षा मकान तथा हवा की व्यवस्था आधी होगी। जहां दीवालों में खिड़कियों आदि के द्वारा हवा तथा प्रकाश की व्यवस्था संभव न हो, वहां चिमनी आदि के द्वारा यथोचित व्यवस्था की जायेगी।

(घ) लांड्री और विश्राम कक्ष–तहखाने के ऊपर स्थित लांड्री तथा विश्राम कक्षों में बाहरी दीवालों में लगी हुई खिड़कियों द्वारा प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी। ये खिड़कियॉ फर्श के क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत से कम न होगीं।

(ङ) भू–गर्भ खण्ड तथा तहखाने–गोदामों को छोड़कर तहखानों और उसमें स्थित कमरों में हवा तथा प्रकाश की व्यवस्था बाहरी दीवालों में लगी हुई खिड़कियों द्वारा की जायेगी। खिड़कियों का क्षेत्रफल ढाई प्रतिशत से कम न होगा।

तहखाने के अन्दर सभी निवास योग्य कमरों में पर्याप्त प्रकाश और वायु का प्रबन्ध होगा। जैसा कि पहली मंजिल में इसी प्रकार के कमरों के लिये अपेक्षित होता साथ ही इसमें पानी के निकास की समुचित व्यवस्था होगी ताकि कमरे सूखे रह सकें।

(च) रसोई घर–हर रसोई घर उसी प्रकार की हवा की व्यवस्था से परिपूर्ण होगा जैसा कि निवास योग्य कमरा।

(छ) जीने–पहली और दूसरी मंजिलों की इमारतों में प्रत्येक जीने में प्रकाश के लिये बाहर की ओर खुली जगह की व्यवस्था की जायेगी, जो टेड़ा माप करने पर 10 फुट से कम गहरी न होनी चाहिये। दो से अधिक मंजिल वाली इमारतों अर्थात तीन मंजिल वाली इमारतों मे खुली जगह की गहराई 15 फुट से कम न होगी। जीने में प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

28–सहन की चाहर दीवारी– सहन की दीवार फुटपाथ या पगडंडी के धरातल से 5 फीट 6 इंच से अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिये।

29–धार्मिक भवन–जिन भवनों का सार्वजनिक उपासना गृह के रुप में अथवा धार्मिक धर्मकाण्ड के सम्पादन में उपयोग होता या उपयोग में लाये जाने का अभिप्राय है जैसे मन्दिर, मस्जिद या गिरजाघर इत्यादि। उसका निर्माण नगर पालिका की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की इमारतों के सामने कम से कम 30 फुट और चारों ओर 15 फुट खुली जगह छोड़नी होगी। यदि प्रस्तावित भवन के स्थल से 200 गज की सीमा में किसी दूसरे धर्म की कोई इमारत विधमान है तो नव निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। यदि वह स्थल एक से अधिक सड़कों का स्पर्श करता हो तो भवन के सामने कम से कम 30 फुट जगह छोड़कर भवन निर्माण करना होगा।

30–प्लाट का न्यूनतम परिमाण–किसी भी ऐसे प्लाट पर जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज से कम होगा और औसत चौड़ाई 30 फुट से कम या गहराई 60 फुट से कम होगी आवास प्रयोजन के लिये कोई इमारत निर्मित नहीं की जायेगी जब तक कि वह प्लाट विकसित क्षेत्र में स्थित न हो।

31–मुख्य व्यापारिक एंव औधोगिक केन्द्र– उस दशा में न्यूनतम प्लाट का क्षेत्रफल 1250 वर्ग फुट और कम से कम चौड़ाई 25 फुट।

परन्तु प्लाट के कम से कम साईज की शर्त उन इमारतों पर लागू न होगी जबकि मौजूदा इमारत को दोबारा से बनाया जाये या उसमें कोई तबदीली/बढ़ोतरी की जाये।

32–कमरों का आकार और संख्या–(क) आवास स्थान में कम से कम 2 रहने योग्य कमरे, एक भंडारघर , एक स्नानागार और एक शौचालय का होना आवश्यक होगा।

(ख) वर्तमान विकसित क्षेत्रों में और पुनर्निर्माण के कार्यों में यदि स्थानाभाव हो तो स्नानागार एंव शौचालय समबन्धी आवश्यकता के आग्रह को छोड़ा जा सकता है। वशर्ते यहां पर सार्वजनिक शौचालय स्नानघर की सुविधा उपलब्ध हो अन्यथा एक शौचालय की व्यवस्था आवश्यकीय होगी।

33–मंजिलों की संख्या–किसी भी परिस्थिति मंजिलों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी तीसरी मंजिल में नगर पालिका की स्वीकृति से खुला हुआ शेड/बरसाती बनाने की आज्ञा प्रदान की जा सकती है।

34–किसी क्षेत्र में शौचालय की प्रकार का निर्माण–किसी इमारत में विशेष शौचालय फ्लश हो या सैफिटक टैंक से सम्बन्ध हो तो इस प्रकार के हर मामले का निर्माण नगर पालिका द्वारा किया जायेगा। किन्तु साथ ही शर्त यह है कि यदि उक्त स्थल से 100 फुट के अन्दर सीवर है तो उससे सम्बन्ध वाला शौचालय ही बनाया जायेगा। साथ ही यदि उस समय सीवर का उपयोग न किया जा रहा हो तो तब तक के लिये व्यक्ति द्वारा साफ किया जाने वाला शौचालय की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इस शर्त पर कि नगर पालिका की इच्छा पर तुरन्त यह सम्बन्ध शौचालय में परिवर्तित कर दी जायेगी।

35–**कूड़ा करकट एकत्रित करने/रखने वाले स्थल**–किसी भी ऐसे स्थल में जिसके किसी भाग पर कूड़ा करकट, मल-मूत्र अथवा कोई भी हानिकारक पदार्थ जमा हो जो स्वास्थ्य अधिकारियों के लिये आपत्तिजनक हो तो वहां तब तक कोई भवन निर्माण कार्य संभव नहीं होगा जब तक कि वह कूड़ा करकट वहां से हटा न दिया जाये और उस स्थान को भवन निर्माण के लिये उपयुक्त बना न लिया जाये अथवा उसे इस ढंग से छोड़ न दिया जाये जो भवन निर्माण की दृष्टि से नगर पालिका के लिये संतोषप्रद हो।

किन्तु यदि उसी कूड़े करकट के ढेर पर अथवा पुष्ट की हुई कंक्रीट के खम्बों पर किसी व्यक्ति का भवन निर्माण करने का इरादा है तो उसे कूड़े करकट के ढेर को रासायनिक पदार्थ अथवा स्वास्थ्य अधिकारी की दृष्टि से संतोषप्रद किसी अन्य पदार्थों के उपयोग द्वारा ठीक कर लिये जाने पर और उसके ऊपर कम से कम 2 फुट मोटा बालू का एक परत अथवा किसी अन्य उसी के समकक्ष उपयोगी पदार्थों की परत डाल दी जाने पर या कम से कम 6

इंच मोटी सीमेंट कंक्रीट की एक सतह जमा दी जाये,नगर पालिका उसे उक्त निर्माण पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

36–बाढ़ के प्रभावित होने वाले स्थल– बाढ़ से प्रभावित होने वाले स्थल पर या ढाल पर जो और 45' से अधिक का कोण बनता हो या उस मिट्टी पर जिसका रेतीला भूमितल जल–निस्तारण के अनुपयुक्त हो तब तक कोई भवन निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा जब तक कि मकान मालिक द्वारा बोर्ड को इस बात का आश्वासन न दिया जाय कि इस प्रकार का भवन निर्माण या स्वास्थ्य अथवा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को प्रदान करने में जनता कोष का अपव्यय नहीं होगा।

37–गड्ढे और पत्थर की खानों वाले स्थल–जिस स्थल में कोई गड्ढा या सन होगा या उसमें इसी प्रकार की कोई खुदाई की गई होगी या उसका कोई अंश उसके अन्तर्गत आता होगा तो ऐसी परिस्थिति में जब तक उसे भवन निर्माण के उपयुक्त न बना लिया जाये नगर पालिका के लिये संतोष प्रदरुप में तैयार होने के लिये छोड़ न दिया जाये तब तक कोई भवन निर्मित न हो सकेगा।

38–नम स्थल–जहां कहीं स्थल की नमी में अथवा मिट्टी की प्रहति नमी से रक्षा करने की आवश्यकता अवस्थित करना हो वहां दीवालों के मध्यवर्ती भूमि भाग पर ठोस सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण को 6 ईंट मोटी तह या इसी प्रकार की कोई दूसरी नमी दूर करने वाली सामाग्री को प्रयोग करना होगा जो कि नगर पालिका के लिये संतोषप्रद हो।

39–अधोखण्ड को जल प्रभावहीन बनाना–अब अधोखण्ड में कोई रहने वाला कमरा अवस्थित किया जाये तब इस प्रकार के अधोखण्ड के फर्श और बाहरी दीबालों को इस प्रकार निर्मित या प्रबंध किया जायेगा ताकि अधोखण्ड में जल न पहुंच सके और नमी न रहे। साथ ही जल अधोखण्ड में रहने वाले कमरे के घेर पर अन्य इमारतें अवस्थित की जायें जहां जमीन में पानी की स्थिति हो या होने की संभावना हो जिससे अधोखण्ड की दीवालों अथवा फर्श में तरल पदार्थ हो, दबाव पैदा हो जाने का भय हो तो ऐसी स्थिति में जल शोषण करने वाले पदार्थ से सभी दीवालों को निर्मित किया जायेगा और सभी दीवालों के पीछे जमीन की सतह से 12 इंच के अन्दर जल शोषण करने वाली सामाग्री भर दी जायेगी और उसके ऊपर अप्रवेश्य मिट्टी भर दी जायेगी। साथ ही वहां पानी के निकास के लिये उपयुक्त नाली की व्यवस्था कर दी जायेगी,जो अधोखण्ड में जल शोषण करने वाले स्थान से लेकर इमारत से बाहर लें जायेगें।

40–जमीन के अन्दर नाली–जब कभी नगर पालिका के विचार से इमारत के स्थल के लिये आवश्यक हो तो जमीन की नमी को अन्दरुनी नाली द्वारा पूर्ण रुप से बढ़ा दिया जायेगा या दूसरे साधनों द्वारा ठीक किया जायेगा।

41–रसोई घर–प्रत्येक कमरा जिसका उपयोग रसोई के रुप में किया जायेगा, निम्न व्यवस्थाओं से पूर्ण होगा।

(क) जैसा इन उपविधियों में दिया हुआ है ऊंचाई और वर्गफुट क्षेत्रफल।

(ख) या तो गर्म हवा से बचने के लिये एक उपयुक्त धुआंरा या स्वीकृति ढंग के बिना धुएं वाले चूल्हे की व्यवस्था कर दी जायेगी।

(ग) जब तक की भण्डार घर में पृथक रुप से बर्तन धोने के लिये पाईप लगाना होगा, जो ट्रेप से होकर मलमूत्र पाईप से मिल जाये।

(घ) अप्रवेश्य फर्श।

42–बीच की मंजिल का फर्श–कमरे के या उसके किसी भाग के बीच के मंजिल का फर्श अर्थात दुछती बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है वशर्ते कि वह निम्न शर्तों को पूरा करता हो।

(क) यदि दुछत्ती का क्षेत्रफल 100 वर्गफुट या इससे अधिक हो तो उसमें प्रकाश एंव वायु सम्बन्धी नियम रहने वाले कमरों के अनुरुप होने चाहिए।

(ख) उसका निर्माण उसी प्रकार किया जाना चाहिये,जिससे ऊपर नीचे की वायु तथा प्रकाश की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न होने पावे।

(ग) इस प्रकार की दुछत्तियों का विभाजन छोटे कमरों के रुप में नहीं किया जायेगा।

(घ) इस प्रकार की दुछत्ती या उसका कोई भाग रसोई के रुप में नहीं प्रयुक्त होगा।

(ङ) इस प्रकार की दुछत्तियों का कुल योग किसी भी दशा में कुर्सी के क्षेत्रफल का 1/4 से अधिक नहीं होगा।

(च) किसी भी दशा में दुछत्ती को इस प्रकार बन्द नहीं करना चाहिये जिससे कि उसे वायु व्यवस्था से अपूर्ण कक्ष के रुप में न परिवर्तन करना पड़े।

43–सीढ़ियां–घरेलू इमारतों में जीनों की कम से कम चौड़ाई 3 फुट से कम न होगी। जीनें सार्वजनिक इमारतों में प्रति 30 व्यक्तियों पर एक की व्यवस्था की जायेगी, कोई भी जीना 5 फुट से कम चौड़ा नहीं होगा और इमारत का दूरस्थ कोना किसी भी परिस्थिति में जीने से 50 फुट से अधिक दूर नहीं होगा।

इमारत	अधिकतम उठान	अवरोध रहित ओटों की न्यूनतम चौड़ाई
1–सार्वजनिक इमारतें	6 इंच	12 इंच
2–घरेलू इमारतें	71/2	10 इंच

जीनों की अधिकतम उठान और ओट की न्यूनतम चौड़ाई निम्नलिखित ढंग से होगी।

44–भूगर्भ खण्ड– भविष्य में निर्मित होने वाले आवास गृहों में कोई भी आवास कक्ष तभी भूगर्भ में बनाया जायेगा जब उसकी फर्श से छत तक की ऊंचाई के कम से कम 1/2 भाग भूमि के धरातल के ऊपर होगा तथा खिड़कियां भी ऊपर होंगी।

जिन भूगर्भ खण्डों का प्रयोग निवास के लिये न करना हो वे हवा तथा प्रकाश की व्यवस्था के लिये केवल 6इंच भूमि के ऊपर निकले रह सकते हैं।

45–गलियारा या रास्ता– आवास भवनों में कोई भी गलियारा या मार्ग चौड़ाई में 4 फुट से कम नहीं होगा।

46–भण्डार घर– जहां भण्डार घर बनाना है वहां उक्त सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा।

(क) फर्श का क्षेत्रफल 40 वर्गफुट से कम न हो।

(ख) रसोई के बर्तनों को साफ करने के लिये ढलुआं मोरी की व्यवस्था हो जो जाली लगे हुये नल के द्वारा मल-मूत्र के पाईप से सम्बन्ध होगी।

(ग) उसका फर्श व 3 फुट तक की दीवाल चिकनी कर दी जायेगी।

47–नौकरों के घर–मकान के बाहर बनने वाले सब घर जिन्हें नौकरों के निवास के अभिप्राय से निर्मित किया जाये निम्नलिखित व्यवस्थाओं से पूर्ण होना चाहिये–

(क) एक ढकी हुई छायादार जगह या बरामदा जो चौड़ाई में 6 फुट से कम नहीं होनी चाहिये, निवास कक्ष के समान निर्मित होगा। उसकी फर्श जल अप्रवेश्य सामाग्री द्वारा निर्मित होगी और नाली की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी ताकि वहां का पानी बहकर सीधे नालों में चला जाये।

(ख) इसी बरामदे के एक कोने में चिमनीदार धुआरे से युक्त रसोई निर्मित करना होगा वह कोना आंशिक रुप के 1/2 फुट की ऊंचाई तक बाहर की ओर ईटों का बनाना होगा।

(ग) घर अथवा बंगले के अहाते में स्नानागार एंव शौचालय इस हिसाब से बनाये जायेंगे कि प्रत्येक चार परिवारों के लिये एक–एक हो, इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिये एक अलग से होगा।

48–छत पर बनी हुई टंकी–इमारतों की छतों पर लगने वाली समस्त टंकियां इस प्रकार लगाई जानी चाहिये कि वे बाहर सड़क पर से न दिखाई पड़े।

49–किसी भी इमारत में संडास या कमाने वाले शौचालय बनाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

50–कुएं–(1) जिन कुंओं का निर्माण पानी पीने अथवा घर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये किया जायेगा उन्हें निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी–

(क) वह किसी राख के गड्ढे, कूड़े करकट के गड्ढे, मिट्टी के ढेर, शौचालय आदि से 50 फुट की दूरी से कम पर स्थित नहीं होगें।

(ख) किसी नावदान, सौकपिट व जमीन के अन्दर बने शौचालय से उसकी दूरी 60 फुट से कम नहीं होगी।

(ग) उसकी स्थिति ऐसी होगी कि मिट्टी के खिसकाव अथवा पानी के वहाव से उसके पानी में किसी प्रकार की गंदगी उत्पन्न नहीं होने पायेगी।

(घ) उनका भीतरी व्यास 3 फुट से कम नहीं होगा वे पूर्णतः पक्के होगें। कच्चे कुओं की स्वीकृति केवल खेतों तथा बागों की सिंचाई के लिये ही मिल सकेगी।

(2) कुऐं की दीवालों अथवा उसका शीर्ष भाग पास की जमीन से ऊंचा रखा जायेगा जिससे कि उसके किनारे मुंडेर बन जाये ताकि निकटवर्ती भूमि का पानी बहकर कुएं के अन्दर न जा सके। मुंडेर के चारो ओर जल के लिये असोख सामाग्री की बनी हुई कम से कम 6 फुट चौड़ी जगह होगी जिसका ऊपरी धरातल बाहर की ओर ढालू होगा।

(3) **अन्दर की ओर का प्लास्तर**–कुएं के भीतरी भाग में कम से कम 6 फुट की गहराई तक आसोख मसाले से चिकना प्लस्तर कर दिया जायेगा यह लम्बाई ठीक उस स्थान से नापी जायेगी जहां कुएं का शिरा भाग सामान्य धरातल से मिलता होगा।

51–उपमार्ग तथा राजमार्ग (क) उपमार्ग का क्रम–ले-आउट प्लान में समस्त उपमार्गों में एंव राजमार्गों की मध्य रेखायें एक अटूट क्रम में होंगी या निकटवर्ती एंव अटूट क्रम वाले पत्र के वर्तमान मार्गों एंव सड़को की मध्य रेखाओं से मिला दी जायेगीं। उस दशा में जबकि स्थल रुप से सीधा सम्बन्ध न हो तब इस मध्य रेखा का क्रम वक्र रेखा की सहायता से बनाया जायेगा।

(ख) सड़क की चौड़ाई–जैसा कि इसमें नीचे दिया हुआ है उसे छोड़कर स्थानी उपमार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 30 फीट होगी। पार्क या इसी प्रकार की कोई अन्य सार्वजनिक खुली जगह का स्पर्श करती हुई सड़क जिसमें एक ही ओर निर्माण संभव हो 25 फुट की चौड़ी भी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों का अनुपालन करने के लिये जिन उपमार्गों के प्रसार की संभावना हो अथवा वे उपमार्ग जिसकी लम्बाई 400 फुट होगी तथा जिन उपमार्गों की लम्बाई 600 फुट से अधिक हो उसकी न्यूनतम चौड़ाई 60 फुट होगी।

(ग) **मार्गों का एक दूसरे को काटते हुये निकलना**–जहां तक सम्भव होगा मार्ग एक दूसरे को समकोण के समीवर्ती कोणों को काटेंगे किन्तु 30′ के कोण से कम पर कोई कटा नहीं होना चाहिये।

(घ) **बन्द गली**–जहां कि किसी बन्द गली की स्वीकृति दी जायेगी, वहां सवारियों के घूमने के लिये 30 फुट के अर्ध्दव्यास वाले क्षेत्र की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(ङ) **स्वच्छता के लिये गलियां**–सब प्लाटों के पीछे जिन पर नवीन भवन निर्मित होंगे अथवा जहां कोई सीवर लाईन नहीं है वहां सफाई के लिये गलियां बनानी होगीं जिनकी न्यूनतम चौड़ाई 12 फुट होगी।

52–अधिपत्य प्रमाण-पत्र–इसके वाद निर्मित, पुननिर्मित या वास्तविक रुप से परिवर्तित किसी भी भवन पर पूर्णरुप से या आंशिक रुप से आधिपत्य नहीं किया जायेगा जब तक नगर पालिका द्वारा इस बात की पुष्टि करते हुये कि उक्त भवन हर प्रकार से इन उपविधियों की आवश्यकताओं के अनुरुप है और ग्रहण करने योग्य है आधिपत्य प्रमाण-पत्र न जारी कर दिया जाये।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916की धारा 299(1) के आधीन प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके नगर पालिका यह निर्देश देती है कि उक्त उपविधियों का भंग किया जाना, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रसर जुर्माना किया जा सकेगा,जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, पच्चीस रुपये तक हो सकता है।

केतकी देवी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, मिलक,
जनपद–रामपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, ओबरा, सोनभद्र

27 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 923/न0पं0ओ0/2019–20–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, ओबरा बोर्ड द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 294 के अन्तर्गत तथा शासनादेश संख्या 23/नौ-9-94-2014 जनरल/90 नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 161/नौ-9-97-23ज/9 नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 के आलोक में नगर पंचायत की सीमान्तर्गत रोजगारों/दुकानों/व्यवसायों को नियंत्रित करने के लिए उपनियम बनाये जाते हैं। इस विज्ञप्ति के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301 के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है। इसे "हिन्दुस्तान" एवं "आज" दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 अगस्त, 2019 को प्रकाशित कराकर आपत्ति और सुझााव मांगे गये थे। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई। अतः विज्ञप्ति को बोर्ड के द्वारा पास कर दिया गया है जो गजट की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम–यह उपविधि नगर पंचायत, ओबरा, सोनभद्र लाइसेंसिग शुल्क उपविधि, 2019 कहलायेगी।

2–परिभाषा–जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–

(क) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 है।

(ख) नगर का तात्पर्य नगर पंचायत, ओबरा, जनपद सोनभद्र से है।

(ग) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, ओबरा, जनपद सोनभद्र के अध्यक्ष से है।

(घ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, ओबरा, जनपद सोनभद्र के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) शुल्क का तात्पर्य नगर पंचायत, ओबरा, जनपद सोनभद्र सीमान्तर्गत दुकानों, रोजगारों, मशीन द्वारा चलने वाले रोजगारों/दुकानों पर लाइसेन्स फीस/शुल्क से है।

3–इस उपविधि द्वारा नगर पंचायत के अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले व्यवसाय, दुकानों, मशीनों से चलने वाले रोजगारों परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं, होटल रेस्टोरेन्ट, पेट्रोलियम, ईंट भट्टा आदि पर लाइसेन्स शुल्क/कर है।

4–किसी भी लाइसेन्स शुल्क जमा करने की तिथि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी।

5–इस उपविधि के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो इसके अन्तर्गत आते हैं बिना शुल्क जमा किये दुकान नहीं चला सकेगा तथा पूर्व से चल रही दुकानें/व्यवसायों/मशीनरी, भट्टा आदि को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

6–कोई भी व्यक्ति इस उपविधि के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त ही व्यवसाय/दुकान चला सकेगा।

7–केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाइसेन्स से भिन्न होगा, किन्तु प्रत्येक व्यवसायी/दुकानदार व अन्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों/मापों का ही प्रयोग करेगा।

8–इमारत का फर्श सीमेन्टेड होना चाहिए तथा दीवारों पर कम से कम दो मीटर तक प्लास्टर होना चाहिए।

9–कोई भी भट्टा किसी बाग से एक किमी0 की निर्धारित दूरी पर ही चलाया जा सकेगा।

10–भट्टे की चिमनियां प्रदूषण नियन्त्रण के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुसार ही बनी होनी चाहिए।

11–इस उपविधि के अन्तर्गत जारी किया गया लाइसेन्स 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष की अवधि के लिए ही मान्य होगा। अधिक समय के लिए नहीं दिया जायेगा।

12–लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थना-पत्र 15 मार्च तक दिया जायेगा और लाइसेन्स 15 अप्रैल तक जारी होगा। जो कि 01 अप्रैल पढा व समझा जायेगा।

13–लाइसेन्स के लिए दिये प्रार्थना-पत्र में सम्पूर्ण विवरण स्थान का विस्तृत पता दिया जाय।

14–इस उपविधि के प्रयोजनों के लिए अधिशासी अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होगा।

15–लाइसेन्स शुल्क निम्नानुसार तालिका के अनुरूप जमा करवाया जायेगा।

39 बिन्दु लाइसेन्सिंग शुल्क दरें

क्र0सं0	मद का नाम	निर्धारित दरें	
1	2	3	4
		रु0 से	रु0 तक
होटल/रेस्टोरेन्ट–			
1	होटल	2,500.00	5,000.00
	लाजिंग	2,500.00	5,000.00
	गेस्ट हाउस	5,000.00	10,000.00
	खाने के होटल (ढाबा)	2,000.00	4,000.00
	मिठाई की दुकान	5,000.00	8,000.00
2	तीन सितारा होटल	नही है यदि है तो 10,000.00	20,000.00
3	पांच सितारा होटल	नही है यदि है तो 20,000.00	40,000.00
नर्सिंग होम–			
4	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	8,000.00	16,000.00
5	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	10,000.00	20,000.00
6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	8,000.00	16,000.00
7	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	10,000.00	20,000.00
8	प्राइवेट अस्पताल	10,000.00	20,000.00
9	पैथालाजी सेन्टर,	2,500.00	5,000.00
	मेडिकल स्टोर	2,500.00	5,000.00
10	एक्सरे क्लीनिक	2,000.00	4,000.00
11	डेन्टल क्लीनिक	3,000.00	5,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	3,000.00	5,000.00
परिवहन–			
13	आटो रिक्शा 2 सीटर	परिवहन क्रमांक 13 से 23 तक लगने वाला कर नगर पंचायत बोर्ड के निर्णय के विचाराधीन रहेगा।	
14	आटो रिक्शा 7 सीटर		
15	आटो रिक्शा 4 सीटर		
16	मिनी बस		
17	बस		
18	तांगा		
19	रिक्शा किराये पर		
20	रिक्शा (निजी चालित)		
21	ठेला/ठेली		
22	बैल गाड़ी/भैंसा गाड़ी		
23	ट्राली		
24	फाइनेन्स कम्पनी, पोल्ट्री फार्म तक	8,000.00	12,000.00
25	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा, मोबाईल टावर, गैस एजेन्सी, ईट भट्टा, पेट्रोल पम्प CNG-PNG,	10,000.00	15,000.00
	लोहा एवं हार्ड वेयर कम्पनी	2,500.00	10,000.00
	लोहा व्यापारी सिमेन्ट सरिया ईटा बालू मिट्टी	3,500.00	7,000.00
	थोक मोरंग मारबल टाइल्स सेनेटरी	5,000.00	10,000.00
26	टेन्ट हाउस	5,000.00	10,000.00
	फल एजेन्सी आढ़त	3,000.00	5,000.00
	किराना के थोक विक्रेता	5,000.00	10,000.00
	किराना फुटकर व अन्य छोटे दुकानदार	2,500.00	5,000.00

1	2	3	4
		रु0 से	रु0 तक
26	एजेन्सी लिमिटेड	5,000.00	10,000.00
	कपड़े की दुकान/रेडीमेड होजरी इत्यादि	5,000.00	8,000.00
	ज्वेलरी शाप की दुकान	5,000.00	8,000.00
	बीड़ी कारखाना	5,000.00	10,000.00
	कोल्ड स्टोरेज	10,000.00	20,000.00
	कम्प्यूटर/कोचिंग सेन्टर	1,000.00	5,000.00
	डी0जे0कम्पनी	3,000.00	5,000.00
	लाइट एण्ड साउन्ड कम्पनी	3,000.00	5,000.00
	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	1,500.00	5,000.00
	फुटकर कपड़े की दुकान	1,000.00	2,000.00
	चाय नास्ता मिठाई की दुकान	1,500.00	3,000.00
	खाल एवं बाल उतारने वालों पर	1,500.00	3,000.00
	टेलरिंग (निजी चलित)	1,500.00	2,000.00
	टेलरिंग हाउस 5 कर्मचारी तक	2,500.00	3,000.00
	कोयला थोक विक्रेता	4,000.00	7,000.00
	पान की दुकान	500.00	1,000.00
	बर्तन की दुकान	1,000.00	2,000.00
	जनरेटर किराये पर चलाये जाने पर	1,000.00	2,000.00
	सब्जी की दुकान	500.00	1,000.00
	गल्ला अनाज की दुकान थोक विक्रेता	5,000.00	10,000.00
	गल्ला अनाज की दुकान फुटकर विक्रेता	2,000.00	3,000.00
27	पशु वधशाला (स्लाटर हाउस)	नही है।	
28	हड्डी खाल गोदाम	2,000.00	5,000.00
29	बीयर शाप	5,000.00	8,000.00
30	आईस फैक्ट्री	500.00	1,000.00
31	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	10,000.00	20,000.00
	बिल्डिंग मैटेरियल	3,000.00	6,000.00
	कान्ट्रेक्टर	5,000.00	10,000.00
32	देशी शराब (प्रति दुकान)	8,000.00	10,000.00
33	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	8,000.00	10,000.00
34	भैसा मांस की दुकान	नही है यदि है तो 10000.00	12,000.00
35	बकरा मांस/मुर्गा मांस की दुकान व मांसाहारी होटल	2000.00	4000.00
पशुपालन–			
36	प्रति पशु	नही है।	
37	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00	
38	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरी आदि)	50.00	
39	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैस, घोड़ा, आदि)	100.00	

17–समस्त छोटे दुकानदारों जैसे चाय, पान, सब्जी, फूल माली, गोमती, ठेला/खोमचा पर लगने वाला कर पर नगर पंचायत ओबरा बोर्ड द्वारा बैठक में भविष्य में निर्णय लिया जायेगा।

18–यदि किसी मशीन/दुकान आदि पर एक से अधिक कार्य किये जाएं तो मूल लाइसेन्स फीस के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग फीस/शुल्क लिया जायेगा।

19–डिस्पेन्सरी या मेडिकल सम्बन्धी कोई भी दुकान नर्सिंग होम आदि चलाने के लिए मान्यता प्राप्त डाक्टर की डिग्री तथा रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी डाक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा/न ही दुकान चला सकेगा।

20–ब्यूटी पार्लर चलाने वाले को किसी मान्यता प्राप्त संस्था का मान्य ट्रेनिंग प्रमाण-पत्र दिखाना/रखना आवश्यक होगा।

21–इन उपविधियों में से कोई भी लाइसेन्सधारी द्वारा किसी एक का भी उलंघन होने पर लाइसेंसिंग अधिकारी को लाइसेंस समाप्त करने या निलम्बित करने का अधिकार होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन उपविधियों में से किसी का भी उलंघन करने पर अर्थ दण्ड रु0 1000.00 (मु0 एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहा तो दोष सिद्ध हो जाने पर अपराधी यदि अपराध जारी रखता है तो रु0 25.00 (मु0 पचीस रुपया मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड दिया जा सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, ओबरा,
सोनभद्र।

कार्यालय, नगर पंचायत, गोपामऊ, (हरदोई)

17 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 245-II/न0पं0गो0/बॉयलॉज/2019-20–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) (2) सूची (1) खण्ड "ज" के भाग "ख" के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 10 जून, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में "वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2019" बनायी है, प्रस्तावित उपनियमावली पर यदि किसी सम्बन्धित को कोई भी आपत्ति हो, तो अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में 01 माह (30 दिन) के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की सीमा में प्रभावी होगी।

वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2019

1–**शीर्षक**–यह उपविधि न0पं0, गोपामऊ, (हरदोई) वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2019 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–विषय का प्रयोग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों से है–

(क) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत, गोपामऊ, जनपद हरदोई से है;

(ख) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है;

(ग) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है;

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत, गोपामऊ, जनपद हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है;

(ङ) "अधिनियम" से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है;

(च) "वाहनों" से तात्पर्य नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की सीमा से गुजरने वाले भार से लदे/सवारी ढोने वाले वाहनों से है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई के कर्मचारी से है;

(ज) "नाका बैरियर" से तात्पर्य नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई के नाका बैरियर से है;

(झ) "सड़क/पटरियों" का तात्पर्य नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की सीमा अन्तर्गत आने वाले मार्गो प्रान्तीय, गैर प्रान्तीय एवं नगर की सड़क पटरियों से है।

4–शुल्क का विवरण अधिरोपण एवं संग्रह–नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते वाहनों ट्रक/ट्रैक्टर मय ट्राली, डी0सी0एम0 ट्योटा जो व्यवहारिक दृष्टि से चलते हैं, मोटर लारी रोडवेज, स्टोर वाहन, टाटा सूमो, मार्शल, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, भारी वाहन, बस/अन्य डीजल/पेट्रोल/गैस/इलेक्ट्रॉनिक/बैट्री से चलने वाले वाहनों जो व्यापारिक समान उतारने चढ़ाने एवं सवारियां उतारने-चढ़ाने एवं ठहरने वाले वाहनों को नियन्त्रित करने हेतु उपविधि बनायी गई है, जिन पर यह शुल्क लागू होंगे।

5–नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले वाहन चालक इन नियमों से अपने को नियन्त्रित समझेगा क्योंकि वह प्रान्तीय अथवा नगर पंचायत सड़कों एवं अन्य वाहनों जो नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते हों की सड़कों एवं पटरियों का प्रयोग करते हों, वही वाहन चालक अपने वाहनों को तब तक नगर पंचायत, गोपामऊ की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा जब तक देय शुल्क का भुगतान न कर दे। यह शुल्क मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार को दिया जायेगा। जहां पर नगर पंचायत, गोपामऊ निश्चित करेगी।

6–प्रत्येक वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित स्थान या नगर की सीमा में किसी स्थान पर माल उतारने, चढ़ाने एवं सवारियां उतारने-चढ़ाने एवं ठहरने वाले वाहनों से मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार जैसी स्थित हो उनसे शुल्क वसूल कर रसीद दे सके।

7–इस प्रकार की रसीद प्राप्त करने वाला व्यक्ति नगर पंचायत गोपामऊ के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी तथा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाने के लिए बाध्य होगा एवं दिखलायेगा जो जॉचोपरान्त उसे विधिवत वापस कर दिया जायेगा।

8–नगर पंचायत, गोपामऊ, अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि निर्धारित स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने परन्तु ऐसा करने के लिए उसे कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करनी होगी।

9–यदि कोई वाहन बिना शुल्क अदा किये नगर पंचायत, गोपामऊ की सीमा के अन्दर पाया गया तो अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत जॉच अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का कम से कम चार गुना और अधिक से अधिक 20 गुना दण्ड के रूप में दण्ड वसूल कर रसीद देगा।

10–यदि कोई भी वाहन बगैर शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाड़ी नम्बर जो भी हो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

11–यह कि नगर पंचायत चाहे तो वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क की वसूली का वार्षिक अथवा उसके किसी भाग का ठेका दे सकती है ऐसी स्थिति में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा पार्किंग शुल्क अवशेष होने पर पार्किंग शुल्क की वसूली भू-राजस्व भांति की जा सकेगी।

शुल्क से मुक्ति

12–निम्न वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे–

(क) मृत पार्टी ले जाने वाले समस्त वाहन या एम्बूलेंस।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के स्थनान्तरण पर उनका घरेलू सामान जो किसी भार वाहन पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जावे, जो मांगने पर दिया जावे।

(ग) अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज को छोडकर) जो सरकारी ड्यूटी पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(घ) नगर सीमा के अन्दर बिना रुके सीधे जाने वाले वाहन।

प्रतिबन्ध

13–नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की सीमा में प्रवेश करने वाले तिपहिया, बस, टैम्पो, टू सीटर एवं विक्रम नगर के अन्दर चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं थ्री व्हीलर की निम्नलिखित स्थान पर खड़े होने एवं सवारी उतारने एवं चढ़ाने हेतु निर्धारित किये जाते हैं।

(क) पिहानी रोड पार्किंग

(ख) पिसांवा रोड पार्किंग

(ग) हरदोई रोड पार्किंग

14–कोई भी प्राइवेट बस, लारी, मिनीबस, जीप, टैक्सी, टैम्पों इत्यादि जो सवारियां ढोती हैं वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से 1 किमी0 परिधि में सवारी उतारने व चढ़ाने हेतु न तो गाड़ी पार्किंग करेगा और न ही सवारी भरेगा। उल्लघंन की दशा में अर्थदण्ड का भागी होगा।

15–अध्यक्ष, नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई को यह अधिकार होगा कि किसी भी विवाद के उल्लघंन होने पर उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा उपनियम के किसी भी धारा में आवश्यक पड़ने पर संशोधन करने का अधिकारी होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारित स्थान से आगे शहरी आवादी में प्रतिबन्धित गाड़ियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

शुल्क का विवरण

16–नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई की सीमा में प्रवेश एवं ठहरने वाले वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार शुल्क वसूली करेगी।

1–प्रत्येक मोटर, मोटर लारी ,बस (रोडवेज प्राइवेट बस), ट्रक तथा अन्य डीजल अथवा पेट्रोल से चलने वाले वाहन आदि	रु0 50.00 प्रति चक्कर (परन्तु एक दिन के लिये रु0 100.00 प्रतिदिन)
2–ट्रैक्टर ट्राली	रु0 20.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 50.00)
3–मिनी बस, छोटा ट्रक, मेटाडोर इत्यादि	रु0 30.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 70.00)
4–टैक्सी, मार्शल जीप, टैम्पो इत्यादि	रु0 25.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 60.00)

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत गोपामऊ, जनपद हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1000.00 तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

परवीन खान,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत गोपामऊ,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, गोपामऊ, (हरदोई)

17 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 242-II/न0पं0गो0/बॉयलॉज/2019-20–नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 10 जून, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, पुनः निर्माण एवं परिवर्तन आदि को नियंत्रित करने हेतु उपविधि, 2019 बनायी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन अथवा उससे पूर्व प्राप्त होंगे। यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, गोपामऊ की सीमा मे प्रभावी होगी।

भवन निर्माण, पुनः निर्माण एवं परिवर्तन आदि को नियंत्रित करने हेतु उपविधि, 2019

1–**उपविधियों** का तात्पर्य नगर पंचायत, गोपामऊ की सीमा में भवनों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/भू-खण्डों के निर्माण को नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि, 2019 से है।

2–**नगर पंचायत** का तात्पर्य नगर पंचायत, गोपामऊ से है।

3–**अध्यक्ष** का तात्पर्य निर्वाचित अध्यक्ष नगर पंचायत/जिलाधिकारी अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी, प्रभारी अधिकारी जैसी स्थिति हो, से है।

4–**अधिशासी अधिकारी** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गोपामऊ से है।

5–**बोर्ड** का तात्पर्य नगर पंचायत, गोपामऊ के बोर्ड से है।

6–**नगर पंचायत की सीमाओं** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में होने वाली सीमा विस्तार में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

7–**कर** का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (1) द्वारा परिभाषित भवन अथवा भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर आरोपित कर से है।

8–**स्वामी** के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसमें किसी भवन अथवा भूमि का वैधानिक रूप से मान्य स्वामित्व निहित हो।

9–**भवनों** का तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा में स्थित भवनों, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय में वर्णित परिभाषा धारा 7 मे उल्लिखित यथा संशोधित से है।

10–कोई भी भवन/भूस्वामी कम्पनी पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, ठेकेदार नगर पंचायत के शहरी क्षेत्रों मे ग्रामीण एरिया को छोड़कर आवासीय भवन व्यापार हेतु जनहितार्थ अपनी निजी अथवा किराये पर ली गई अथवा किसी क्षेत्रीय संस्था की भूमि पर नगर पंचायत, गोपामऊ से पूर्व आज्ञा (अनुमति) प्राप्त किये बिना न तो नया निर्माण कर सकता है और न ही पुराने निर्माण में फेरबदल कर सकता है। नगर पंचायत गोपामऊ की सीमान्तर्गत आने वाला समस्त भू-भाग नियंत्रित क्षेत्र कहलायेगा।

परिवर्तन या परिवर्धन

11–नगरीय क्षेत्रों में नये निर्माण और पुराने भवनों में परिवर्तन या परिवर्धन कम से कम 03 मास पूर्व भूमि का मालिक अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गोपामऊ को उक्त निर्माण के लिये आवेदन प्रस्तुत करेगा।

इस आवेदन के साथ निम्नलिखित पत्रादि और सूचनायें भी भेजेगा–

(क) स्थल का नक्शा व नक्शे का पैमाना 1 मीटर बराबर 1 से0मी0 (एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर) होगा।

(ख) स्थल की सीमायें चारों ओर की और उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण और भूमि के मालिकों के नाम (चौहद्दी) का उल्लेख।

(ग) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन की दूरी।

(घ) सम्पर्क मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग से निर्माणाधीन स्थल की दूरी की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त कराना होगा।

(ङ) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र सेलडीड (बिक्री विलेख) ट्रांसफर (स्थानांतरण विलेख) तथा लैंड डाक्यूमेंट अथवा रजिस्टर (मान्य दस्तावेज अथवा रजिस्टर पत्रादि) अथवा लेखपाल के द्वारा प्रदत्त स्थल का इंतखाब जैसी भी स्थिति को संलग्न किया जायेगा।

12–प्रस्तावित भवन का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार–(क) प्रत्येक मंजिल के ढ़के हुये भाग का नक्शा विवरण सहित जैसे दरवाजे, खिड़की, रोशनदान, जीना आदि की ठीक-ठीक स्थिति।

(ख) नक्शा नवीस/आर्किटेक्ट का नाम व पता (राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)।

(ग) **भवन का उद्देश्य–**

[1] निजी आवास के लिये

[2] व्यवसाय/व्यापार के लिये

[3] रहने व दुकान के लिये, दुकान किराये पर देने के लिये।

[4] जनहितार्थ है तो विवरण

[5] अन्य कार्य हेतु विवरण प्रस्तुत करें

13–निर्माण की स्वीकृति पूर्व प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के 03 मास के अंदर दिये जाने के 06 मास के अंदर निर्माणकार्य प्रारंभ कराना होगा, यदि किसी कारण निर्माणकार्य उक्त निर्धारित अवधि के अंदर प्रारम्भ नही हुआ है तो

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा पुनः विचार कर कार्य प्रारम्भ करने की अवधि का बढ़ाया जा सकता है किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में स्वीकृति से 01 वर्ष से अधिक नही होगी। उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 181(1), (2)।

14—निर्माण स्वीकृति दिये जाने के उपरांत अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की किसी समय यह संतुष्टि हो जाये कि प्रार्थी द्वारा इस उपनियम के खण्ड 2.3 में दी गई सूचना अथवा नक्शे मे गलत विवरण दिया गया था। तो अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति को प्राप्त कर सकता है और किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा और ध्वस्त करा दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 185

15—यदि किसी भवन की चौड़ाई रास्ते या सड़क की ओर स्थित है तो भवन सम्पूर्ण के अगले भाग में कम से कम 1.21 मीटर की जगह छोड़नी पड़ेगी यदि भवन का प्रवेश द्वारा सड़क या आवासीय क्षेत्र मे दिये पार्क आदि के लिये खाली जगह हो जाने वाली सड़क या गली या रास्ते पर तो 1.50 मीटर छोड़नी होगी।

16—कोई भवन या आवास जनहितार्थ बनाया जायेगा निर्माणकर्ता को आवश्यक होगा कि वह आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक शौचगृह तथा स्वास्थ्य सुविधायें, जनस्वास्थ्य नियमावली के आधार पर बनायेगा।

(क) किसी शौचगृह की सड़क अथवा गली की ओर खुला रहने की स्वीकृति नही दी जायेगी।

(ख) शौचालय इस प्रकार का होना चाहिये, जिसमें मलकूप/मल निस्तारण आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो।

17—किसी भी भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि खुले स्थान की सतह से कम से कम 50 से0मी0 ऊँची होगी।

18—किसी भवन में मंजिल का तात्पर्य उन एक या एक से अधिक कमरों से है जिनके फर्श लगभम समान ऊंचाई के हों।

19—एक से अधिक मंजिल के लिये जीने की चौड़ाई 90 से0मी0 से कम न होनी चाहिये, जिसमें रोशनी आदि की समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है।

20—अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह नक्शे को उसी प्रकार स्वीकार कर दें अथवा उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन कर स्वीकार करें। नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 186 (1), (2), (3)।

21—उन उपविधियों के अधीन भवन इत्यादि निर्माण कार्य के लिये प्रदान की गई आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22—इन उपविधियों के अन्तर्गत निर्माण पुनः निर्माण व परिवर्धन के प्रार्थना-पत्र के साथ इस उपविधियों में दी गई दर से शुल्क जमा करना होगा। और इस जमा की रसीद प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23—नक्शा स्वीकृत करने हेतु निम्न औपचारिकताओं की भी पूर्ति अपेक्षित होगी—

(क) भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख।

(ख) लोक निर्माण विभाग।

24—लाइसेन्स धारी ड्राफ्टमैन अथवा आर्किटेक्ट द्वारा बनाये गये नक्शे ही मान्य होंगे।

25—किसी भी व्यक्ति द्वारा इन उपनियमों की किसी भी धारा के उल्लघंन किये जाने पर वह नगर पंचायत गोपामऊ के अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियोग-पत्र जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख उस व्यक्ति के विरूद्ध दण्डित किये जाने हेतु प्रस्तुत करें, अधिशासी अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि जिला मजिस्ट्रेट को

अभियोग-पत्र प्रस्तुत करने के अलावा उपविधि में किसी धारा के उल्लंघन किये जाने पर उस व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर अपराध का प्रशमन किसी भी समय पर लेने और इसी दशा में समझौता निम्न शुल्क पर देय होगा–

(क)	आवासीय हेतु प्रति आवास	रु0 2,000.00
(ख)	व्यापारिक संस्था प्रति संस्था	रु0 8,000.00

फीस की दरें–

आवासीय भवन हेतु एवं कालोनी हेतु दरें–

(क) प्रथम सौ वर्ग मीटर तक फर्श के कुल ढ़के भाग पर रु0 500.00 तथा अतिरिक्त प्रतिवर्ग दस मीटर या उसके भाग के लिए रु0 100.00 देय होगा।

व्यापारिक संस्था हेतु दरें–

(ख) प्रथम 50 मीटर तक फर्श के कुल ढके भाग पर रू0. 1,000.00 तथा अतिरिक्त प्रति वर्ग 10 मीटर या उसके भाग के लिये रू0. 200.00 होगा।

(ग) पुनर्निर्माण, परिवर्तन या परिवर्धन के लिये भी शुल्क नव निर्माण के बराबर होगा।

(घ) अवधि बढ़ाये जाने के प्रार्थना-पत्र का शुल्क रु0. 300.00 देय होगा।

(ङ) हर प्रकार की चहारदीवारी निर्माण का शुल्क रु0. 500.00 प्रति 100 मीटर या उसके भाग पर होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके नगर पंचायत, गोपामऊ एवं एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपर्युक्त नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो रु0. 1000.00 (रु0 एक हजार) तक हो सकता है और निरन्तर अवहेलना की दशा में ऐसा अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिये जिसमें यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0. 25.00 तक हो सकता है।

परवीन खान,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोपामऊ,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई

17 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 247-II/न0पं0गो0/बॉयलॉज/2019-20–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 10 जून, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में ''विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019" प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात, उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, जिसका नियमानुसार निस्तारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा परन्तु 30 दिन के बाद प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त प्रस्तावित ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019'' उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019''

शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-94-204 (जनरल)/90, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अंतर्गत नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली–2019 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–

- यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 कहलायेगी।
- यह नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई में प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–

उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये–

- "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य "नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई" के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।
- "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य, नगर पंचायत गोपामऊ जनपद हरदोई के प्रभारी अधिकारी से है।
- "लाइसेंसिंग अधिकारी" का तात्पर्य, नगर पंचायत गोपामऊ जनपद हरदोई के लाइसेंसिंग अधिकारी से है।
- "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
- "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई से है।

3–उपनियम–

- इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी दुकानदार व अन्य व्यवसायी लाइसेंस प्राप्त किये बिना अपनी दुकान/व्यवसाय नहीं चला सकेगा एवं इस उपनियम के लागू होने के पूर्व चल रहे समस्त दुकान/व्यवसाय का लाइसेन्स दुकानदार/व्यवसायी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स की अवधि एक वित्तीय वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल से लागू हो 31 मार्च को समाप्त होगी।
- प्रत्येक दुकानदार/व्ययसायी को पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि को अदा करके लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि कार्यालय, नगर पंचायत, गोपामऊ में जमा कर अथवा पंचायत कार्यालय द्वारा अधिकृत कर्मचारी को जमा करके रसीद प्राप्त कर सकता है।
- दुकानदार/व्यवसायी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों का मापों में प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
- इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य किसी विधिक संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु प्राप्त लाइसेन्स से भिन्न होगा।
- कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छुआ-छूत की बीमारी से ग्रस्त है, वह उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति को उल्लिखित व्यवसायों में सहायक अथवा नौकर भी रखने का अधिकार नहीं होगा।
- नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी लाइसेन्स दिखाने के लिए बाध्य होंगे तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।
- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई के द्वारा लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।
- जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।
- इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व में प्रभावी फैक्ट्री/दुकान/वाहन लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्क की दरें स्वतः निरस्त हो जायेंगी।
- वाहन के लाइसेंस न बनाने अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर इसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा वाहन बन्द किये जा सकते है तत्पश्चात् 15 दिन में लाइसेन्स न बनवाने पर लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी करायी जा सकती है।
- उपनियमों में संशोधन पंचायत बोर्ड किसी भी समय कर सकता है, एवं शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते हैं।
- वित्तीय वर्ष के माह-जून तक प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनसे प्रतिमाह रु0 50.00 विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।
- दुकानदार/व्यवसायी द्वारा लाइसेंस शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर जमा नहीं करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति करायी जायेगी।
- नगर पंचायत बोर्ड/शासनादेश के निर्णयानुसार लागू लाइसेंस शुल्क में आवश्यक वृद्धि की जा सकती है।

- दुकानदार/व्यवसायी अपना व्यवसाय/दुकान चाहे अपने निजी मकान/दुकान/खुली जमीन अथवा किराये के मकान/दुकान/खुली जमीन पर करता है, उसे अपने दुकान/व्यवसाय के अनुरूप लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा।
- सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाइसेंस को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा उचित नहीं होने पर लाइसेंस देने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

4–लाइसेंस शुल्क–

शासनादेश संख्या 541/नौ-9-99-23ज/97टी0सी0, दिनांक 15 फरवरी, 1999 समहित सं0 1241/नौ-9-98-23ज/97, दिनांक 10 जून, 1998 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये लाइसेंस शुल्क (35 मद) अनुसूची दरें वसूली प्रभाव रहेगा :

वार्षिक दरें

क्र0सं0	दुकान/व्यवसाय का नाम	लाइसेंस हेतु निर्धारित दरें
1	2	3
		रु0
1	पांच सितारा होटल	12,000.00
2	तीन सितारा होटल	9,000.00
3	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस (10 शैय्या तक)	900.00
4	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	3,000.00
5	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक)	1,500.00
6	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
7	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2,000.00
8	प्राइवेट अस्पताल (बिना आपरेशन)	1,000.00
9	प्राइवेट अस्पताल (आपरेशन युक्त)	1,500.00
10	एक्स-रे क्लीनिक	1,500.00
11	पैथालॉजी सेन्टर	500.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00
13	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 07 सीटर तक	500.00
14	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 04 सीटर	250.00
15	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 02 सीटर	150.00
16	बस	1,500.00
17	मिनी बस	1,000.00
18	टैम्पों/जीप/टैक्सी आदि	500.00
19	तांगा	30.00
20	रिक्शा किराये पर चालित	100.00
21	रिक्शा निजी चालित	50.00
22	रिक्शा चालक शुल्क	20.00
23	ठेला	75.00
24	हाथ ठेला	20.00
25	ट्रॉली मशीन चालित	100.00
26	अन्य चार पहिया व्यापारिक वाहन	750.00
27	धुलाई गृह लाण्ड्री	500.00
28	ड्राई क्लीनर लाण्ड्री	1,000.00
29	फाइनेन्स कम्पनी	10,000.00
30	इश्योरेंस कम्पनी	15,000.00
31	फाउण्डिंग इण्डस्ट्रीज	500.00
32	पशु स्लाटर हाउस (प्रति पशु)	10.00
33	हड्डी/खाल/बाल गोदाम	1,000.00
34	पशु पालन (प्रति पशु)	10.00
35	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00
	(क) प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर	25.00
	(ख) प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर	15.00

5–जल मूल्य वसूली–

- उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0 1010-19-2-96(2)-96, दिनांक 08 जनवरी, 1997 के द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अंतर्गत की निम्नवत् दरें प्रस्तावित है–

क्रमांक	घरेलू दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान	घरेलू संशोधित दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान
1	2	3
	रु0	रु0
1	30.00	50.00
	व्यावसायिक दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान	व्यावसायिक संशोधित दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान
	रु0	रु0
2	50.00	100.00

- नगर पंचायत के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों के घरेलू समरसेविल पानी का उपयोग करते है का वार्षिक शुल्क रु0 600.00 देय होगा।
- ऐसे भवन स्वामी जो व्यावसायिक समरसेविल का प्रयोग करते है वार्षिक मूल्य रु0 1,200.00 देय होगा।
- वसूली अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।
- नगर पंचायत वार्षिक बिल वितरण कराकर वसूली करायेगी।
- नगर पंचायत समुचित अभिलेखों को प्रत्येक वित्तीय वर्षवार अनुरक्षित रखेगी, जिसमें डिमाण्ड रजिस्टर को तैयार कराना तथा निर्धारित समय में बिल तैयार कर वितरित करना।

6–डिश एन्टीना शुल्क–

- नगर पंचायत, गोपामऊ सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है।
- प्रत्येक डिश एन्टीना स्वामी/साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन रु0 10.00 प्रति माह शुल्क लिया जायेगा।
- डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शनों की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा।
- कनेक्शनों की जॉच नगर पंचायत के अधिकृत अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा कभी भी की जा सकती है।
- केबिल तार को इस प्रकार डाला जायेगा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो।

7–शो टैक्स–

नगर पंचायत, गोपामऊ सीमान्तर्गत मनोरंजन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे स्वामियों से रु0 50.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।

8–विज्ञापन शुल्क–

सचिव, उत्तर प्रदेश, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश सं0 618/नौ-9-2012-277ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के संबंध में दिशा-निर्देश–

- विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद, निर्वाद, गमनागमन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।
- विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।
- विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ियों से बांधा नहीं जायेगा। उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हों और लोक सम्पत्ति किसी भी प्रकार से विरुपित न हो।

- विज्ञापन कर रु0 6.00 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह देय है।
- कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित और निकाय के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

9–ट्रांसफार्मर सबस्टेशन पर शुल्क–

- पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रान्सफार्मर पर शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक प्रति ट्रान्सफार्मर।
- पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

10–नगर पंचायत दुकान एवं बारात घर पर किराया शुल्क–

- नगर पंचायत दुकान एवं सम्पत्तियों को भली-भांति रख-रखाव करने हेतु प्रत्येक पांच वर्ष में 10 प्रतिशत किराये में वृद्धि करेगी।
- ऐसे किरायेदारों द्वारा अनुबन्ध-पत्र उल्लंघन करने पर नगर पंचायत द्वारा बेदखल नोटिस जारी कर पुनः नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।
- नगर पंचायत, गोपामऊ द्वारा मो0 मटेहना मे निर्मित बारातघर का किराया रु0 1000.00 प्रतिदिन तथा कार्यक्रम के उपरांत बारातघर की सफाई एवं जनित कूड़े का निस्तारण शुल्क अलग से देय होगा।

11–अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क प्रति वर्षः–

- मछली फुटकर बिक्री रू0 300.00
- मछली थोक बिक्री रू0 500.00
- फल फुटकर बिक्री रू0 300.00
- फल थोक बिक्री रू0 1,000.00
- सब्जी फुटकर बिक्री रू0 300.00
- सब्जी थोक बिक्री रू0 1,000.00
- अण्डा फुटकर बिक्री रू0 300.00
- अण्डा थोक बिक्री रू0 1,000.00
- मुर्गा, बकरा, भैंस-भैंसा बिक्री रू0 1,000.00

12–विविध कर (शुल्क) की दरें–

- प्रमाण-पत्र शुल्क-रु0 50.00 (पचास रुपये) प्रति प्रमाण-पत्र।
- पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 400.00 (चार सौ रुपये) मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा में निर्माण कार्य हेतु रु0 600.00 (छः सौ रुपये) मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।
- पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 800.00 (आठ सौ रुपये) मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में निर्माण कार्य हेतु रु0 1000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।
- सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत सीमान्तर्गत) रु0 1,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में शुल्क रु0 2000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।
- पंचायत सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक।
- पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।
- पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।
- पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यावासायिक शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।

- पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/पालेशर मशीन/तेल पिराई मशीन/रुई धुनाई मशीन पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) वार्षिक।
- गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/प्रति दिन।
- पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 3.00 एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 5.00 लिया जायेगा।
- पंचायत सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।
- पंचायत सीमा में स्थित व व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु0 100.00 मासिक तथा बडे दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे अधिक कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु0 200.00 मासिक।
- छोटी बाउण्ड्री युक्त भूखण्ड या मकानों के मध्य खाली भूखण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेंकने को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भूखण्डों एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित राइस,गन्ना मिल पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में संचालित आरा मशीन, आइस फैक्ट्री पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी, प्रेशर मशीन (गाड़ी धुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित आर0 ओ0 प्लांट/निजी जलापूर्ति प्रणाली पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित मोटर साइकिल एजेन्सी, ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार रुपये) वार्षिक।
- मानचित्र शुल्क/मानचित्र एन0ओ0सी0 शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति मानचित्र लिया जायेगा।
- नगर पंचायत जे0सी0बी0 किराया रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति घंटा नगर पंचायत सीमान्तर्गत तथा आने जाने का ईंधन व्यय अनुपातिक पृथक् रूप से।
- मोबाइल टायलेट किराया रु0 500.00 प्रति दिन/प्रति बुकिंग।
- नगर पंचायत एम्बुलेंस किराया रु0 8.00 प्रति किलोमीटर की दर से दोनों तरफ से देय होगा, ईंधन की कीमत में वृद्धि होने पर किराया संशोधन करने का अधिकारी नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगा।
- नगर पंचायत सीमान्तर्गत संचालित ईंट भट्ठों पर लाइसेंस शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार रुपये) वार्षिक शुल्क।
- नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आढ़त व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त बैंकों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये) वार्षिक प्रति शाखा।
- नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन के उद्देश्य से रोड कटिंग चार्ज रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) प्रति कनेक्शन।
- नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन हेतु जमानत धनराशि रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) प्रति कनेक्शन।
- नगर पंचायत, गोपामऊ सीमान्तर्गत समस्त विकास कार्य सम्बन्धी ठेकेदार पंजीकरण शुल्क रु0 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तदोपरान्त रु0 1,500.00 (एक हजार पांच सौ रुपये) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।
- ठेकेदार नवीनीकरण शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार रुपये) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तदोपरान्त रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।
- शटरिंग/तख्ता बल्ली को किराये पर उठाने के व्यवसाय पर रु0 2000.00 वार्षिक (दो हजार रुपये) मात्र।
- देशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 4,000.00 (चार हजार रुपये) वार्षिक।

- विदेशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 6,000.00 (छः हजार रुपये) वार्षिक।
- बार/बियर दुकान पर व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 6,000.00 (छः हजार रुपये) वार्षिक।
- समस्त प्रकार की भवन निर्माण सामग्री सीमेंट/सरिया/मौरंग इत्यादि विक्रेता व्यावसायिक शुल्क रु0 5000.00 (पांच हजार रुपये) वार्षिक।
- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में एनजीटी ऐक्ट 2010 की धारा 15/16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा जलाने पर अर्थदण्ड प्रति प्रकरण रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये) मात्र एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने/मलबा रखे जाने पर रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) मात्र अर्थदण्ड।

दण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर की अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रु0 25 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुर्माना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

नोट–उपरोक्त ''नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2019'' उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविध कर/शुल्क की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की उपविधि की दरों में कोई विरोधाभास हो, तो उस स्थिति में विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 प्रभावी मानी जायेगी तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त मदों पर व्यावसायिक शुल्क का निर्धारण संशोधित लाइसेंस शुल्क दर उपविधि, 2010 के आधार पर किया जायेगा। उक्त उपविधि में किसी भी प्रकार के संशोधन/अद्यतन करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है।

परवीन खान,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोपामऊ,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, गोपामऊ (हरदोई)

17 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 244-II/न0पं0गो0/बॉयलॉज/2019-20–नगर पंचायत, गोपामऊ की आय बढ़ोत्तरी हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की उपधारा 11 की सूची "स" के खण्ड "घ" द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 10 जून, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले भवनों पर जलकर निर्धारण हेतु जलकर उपनियमावली, 2019 बनायी है, उपरोक्त नियमावली के धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात्, उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, जिसका नियमानुसार निस्तारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा परन्तु 30 दिन के बाद प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावो के निस्तारण के उपरान्त प्रस्तावित ''जलकर उपनियमावली, 2019'' उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

जल कर उप नियमावली, 2019

1–यह नियमावली नगर पंचायत सीमा में आने वाले भवनों पर लागू होगी तथा जल कर उप नियमावली, 2019 कहलायेगी।

(क) क्षेत्र (सीमा) का तात्पर्य नगर पंचायत, गोपामऊ की सीमा से है।

(ख) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष नगर पंचायत, गोपामऊ व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गोपामऊ से है।

(ग) अध्यासी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निजी भूमि भवन या उसके किसी भाग का स्वामी हो तथा उपयोग में लाता हो स्वामी/किरायेदार के नाम से जलकर लागू किया जायेगा।

2–गृहकर वार्षिक मूल्य के आधार पर जलकर निर्धारण किया जायेगा।

3–भवन का तात्पर्य भवन, दुकान, दालान, बरामदा, सहन, जो किसी सामाग्री से बना हो एवं अनुबन्ध भूमि भी सम्मलित होगी परन्तु तम्बू, झोपड़ी आदि सम्मलित नहीं होगी।

4–(क) जलकर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा वसूल किया जायेगा जिसकी अदायगी का समय 30 सितम्बर व 31 दिसम्बर होगा किन्तु कोई व्यक्ति यदि अग्रिम किस्त जमा करना चाहे तो वह जमा कर सकता है।

(ख) जलकर 31 दिसम्बर तक अदा न करने पर लगे जलकर पर 10% अधिभार लगाकर वसूल किया जायेगा।

5–जलकर वसूली संक्रमण के कारण स्थगित की जायेगी तथा वर्तमान किरायेदार, कब्जेदार, अध्यासी से वसूल की जायेगी।

6–यदि कोई व्यक्ति भवन या भूमि पर जलकर लगा हो तथा उसका स्वामित्व परिवर्तन करता है, तो तीस दिन के अन्दर नया अधिकार परिवर्तन की लिखित सूचना अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को देगा तथा रजिस्टर्ड बैनामा व अचल सम्पत्ति हस्तानान्तरण शुल्क जमा करेगा तब नियमानुसार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित भवन से अधिकार परिवर्तन के साथ जलकर परिवर्तित करने का आदेश पारित करेगा।

7–यदि पूर्व की कोई धनराशि बकाया है तो उसे नाम परिवर्तन से पूर्व बकाया जलकर जमा करना अनिवार्य होगा।

8–वाटर कनेक्शन में नाम बदलने आदि के दाखिल खारिज प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा किसी विशेष मामले का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

9–पालिका अधिनियम की धारा 287 को दृष्टिगत रखते हुये जिस भवन पर जलकर लागू होगा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी उस भवन में प्रवेश कर पैमाइश करा सकता है।

10–नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत पड़ी पाइप लाइन से 300 मी0 की दूरी तक स्थित भवनों पर जलकर आरोपित किया जायेगा।

टिप्पणी–अर्धव्यास निर्धारित करने के लिये एक सीधी रेखा होगी जहां से निकट जल स्तम्भ हो वहां से जल देने का प्रबन्ध हों।

11–बाकीदार व्यक्तियों पर उपबन्धों के अधीन धारा 173 (क) के अन्तर्गत वसूली की जायेगी तथा वारण्ट कुर्की भेजे जायेंगे।

12–शुल्क मुक्त करने के लिये कोई स्वामी जिसके अलग-अलग हिस्से में भवन हो तथा 90 दिन खाली होने पर भी जलकर आरोपित कर दिया गया हो या भवन गिर जाने पर गृह स्वामी मुक्त हेतु अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा एवं अधिशासी अधिकारी उसे मुक्त करने पर विचार बोर्ड में रखेगा।

13–(क) रु0 400.00 वार्षिक मूल्य तक के भवनों पर जलकर आरोपित नहीं किया जायेगा।

(ख) रु0 400.00 वार्षिक मूल्य के ऊपर के भवनों पर 10% की दर से जलकर लगेगा जो भवन स्वामी देगा। जलकर की वसूली किरायेदार/कब्जेदार से भी की जायेगी।

14–जलकर का निर्धारण गृहकर के अनुसार ही किया जायेगा। निर्धारण के बाद आपत्ति/सुझाव मांगे जायेंगे जो प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर प्राप्त किये जायेंगे। अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। आपत्तिकर्ता यदि सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है तो आपत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

15–जलकर निर्धारण सूची को अन्तिम रूप देने हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।

16—नगर पंचायत बोर्ड द्वारा सूची को अन्तिम रूप में स्वीकार किया जायेगा तत्पश्चात् जलकर लागू होगा।

17—यह सूची नगर पंचायत, कार्यालय गोपामऊ में निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी जिसे कोई भी व्यक्ति जिस पर जलकर लगा है, देख सकता है।

18—सूची प्रकाशन के बाद यदि किसी को आपत्ति हो तो वह 30 दिन के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकता है, किन्तु करदाता को अपील से पूर्व लगा कर अदा करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से करदाता या नगर पंचायत संतुष्ट नहीं है तो आगे अपील कर सकता है।

19—निम्नलिखित जलकर से मुक्त रहेंगे—

(क) मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, इमामबाड़ा, दरगाह, गिरिजाघर, खैराती संस्थाओं का वह भाग जो किराये पर न उठा हो वह कर से मुक्त रहेंगे।

(ख) सरकारी/गैर सरकारी भवनों पर कर लिया जायेगा।

(ग) नगर पंचायत कर्मचारियों से जिसमें वह स्वयं रहते हैं कर से मुक्त रहेंगे।

20—जलकर दाता निर्धारित तिथि पर कर भुगतान करके एम0 एस0 सी0-5 (फार्म-5) पर रसीद प्राप्त करने को बाध्य होगा।

दण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके बोर्ड निर्देश देता है कि इस नियमावली में वर्णित किसी धारा का उल्लंघन करने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) मात्र लिया जायेगा तथा निरन्तर उल्लंघन करते पाये जायें तो रु0 25.00 (पच्चीस रुपया मात्र) प्रतिदिन देना होगा।

परवीन खान,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोपामऊ,
हरदोई।

सूचना

सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मे0 श्री गंगा एच0पी0 फिलिंग स्टेशन, ग्राम व पोस्ट पुरदिल नगर, तह0 सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस के पूर्व तृतीय पक्ष भागीदार श्री पियूष शर्मा पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी 48, स्टेट बैंक कालोनी, प्रीमियर नगर, अलीगढ़ व चतुर्थ पक्ष श्री अरून गुप्ता पुत्र श्री योगेश गुप्ता, निवासी 19/254, न्यू गोपाल पुरी, आगरा रोड, अलीगढ़ अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री प्रेम शंकर शर्मा व श्री अजय कुमार जैन ही भागीदार हो गये हैं।

प्रेम शंकर शर्मा,
भागीदार,
मे0 श्री गंगा एच0पी0 फिलिंग स्टेशन,
ग्राम व पोस्ट पुरदिल नगर,
तह0 सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 सुपर स्टार कोल्ड स्टोरेज, ग्राम तेहरा, पोस्ट सहारा खुर्द इगलास, जिला अलीगढ़ से श्रीमती विमलेश देवी पत्नी श्री राजपाल सिंह, निवासी ग्राम राहतपुर इमलिया, पोस्ट मई, जिला अलीगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गई हैं। अब उपरोक्त फर्म में श्री राजीव कुमार, श्री धीरज सिंह, श्री कृष्ण पाल सिंह, श्रीमती मिताली ही भागीदार हो गये हैं।

राजीव कुमार,
भागीदार,
मे0 सुपर स्टार कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम तेहरा, पोस्ट सहारा खुर्द इगलास,
जिला अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पदमावती इण्टरप्राइजेज, गांधीवाड़ा, कनवरीगंज, अलीगढ़ में दिनांक

14 जनवरी, 2021 से श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री सन्नामल शर्मा, निवासी ज्वालापुरी, पुलिस चौकी के पास, नई एटा चुंगी, जी0टी0 रोड, अलीगढ़, तृतीय पक्ष भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्री राहुल शर्मा, श्रीमती पदमावती व श्री मुकेश शर्मा भागीदार हो गये हैं।

राहुल शर्मा,
भागीदार,
मेसर्स पदमावती इण्टरप्राइजेज,
गांधीवाड़ा, कनवरीगंज, अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी मेसर्स आर्यन कन्स्ट्रक्शन, ग्राम गढ़ी तालुका बरौली, पोस्ट गढ़ी, जनपद एटा में श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम घाटमपुर, पोस्ट जहानगंज, जनपद फर्रुखाबाद नई भागीदार के रूप में दिनांक 10 जनवरी, 2021 से सम्मिलित हो गई हैं तथा फर्म की पूर्व द्वितीय पक्ष श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री रनवीर सिंह, नवासी 218/1, गली नं0-5, पीपल अड्डा एटा, तहसील व जिला एटा, दिनांक 10 जनवरी, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गयी हैं। वर्तमान में फर्म में श्री पुष्पेन्द्र सिंह व श्रीमती प्रेमलता ही भागीदार रह गये हैं।

पुष्पेन्द्र सिंह,
भागीदार,
मेसर्स आर्यन कन्सट्रक्शन,
ग्राम गढ़ी तालुका, बरौली,
पोस्ट गढ़ी, जनपद एटा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स शिवम् कन्सल्टैन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्शन, ग्राम सिंहावली, अलीगढ़ रोड, पोस्ट छर्रा, जिला अलीगढ़ के साझेदारों में दिनांक 25 जनवरी, 2021 से परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

फर्म के पूर्व भागीदार श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवान दास, उम्र 35 वर्ष, द्वितीय पक्ष, श्री पंकज कुमार पुत्र श्री श्याम किशन, उम्र 33 वर्ष तृतीय पक्ष एवं श्री रामकुमार पुत्र श्री हरी सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासीगण ग्राम नगला बादशाह, छर्रा, जिला अलीगढ़ (पंचम पक्ष) अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा श्री हिरदेश कुमार पुत्र श्री राम किशन उम्र 26 वर्ष, श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री वजीर खां, उम्र 34 वर्ष एवं श्री अर्पित कुमार पुत्र श्री अशर्फी लाल, उम्र 20 वर्ष, निवासीगण ग्राम नगला बादशाह, छर्रा, जिला अलीगढ़ नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। उक्त फर्म में अब श्री विनोद कुमार, श्री वीनेश कुमार, श्री अर्पित कुमार, श्री जाकिर हुसैन व श्री हिरदेश कुमार ही भागीदार रह गये हैं।

विनोद कुमार,
भागीदार,
मेसर्स शिवम् कन्सल्टैन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्शन,
ग्राम सिंहावाली, अलीगढ़ रोड,
पोस्ट छर्रा, जिला अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स श्री बाला जी कन्स्ट्रक्शन, 78 शान्ती नगर, एटा की पूर्व द्वितीय पक्ष भागीदार श्रीमती सुमनलता पुत्री श्री ईश्वरी प्रसाद पत्नी श्री हुण्डी लाल, निवासी 78, शान्ती नगर, एटा की मृत्यु होने के कारण वे फर्म से पृथक् हो गयी हैं। वर्तमान में फर्म में श्री चन्द्र मोहन व श्रीमती ममता ही भागीदार रह गये हैं।

चन्द्र मोहन,
भागीदार,
मेसर्स श्री बाला जी कन्स्ट्रक्शन,
78, शान्ती नगर, एटा।

सूचना

सर्व सूचित हो कि मे0 चैनू इण्डेन सर्विस पता देव नगर चौराहा चुर्खी रोड जालौन की साझेदारी दिनांक 15 जुलाई, 2020 को श्री शिव शक्ति सिंह पुत्र हर प्रसाद, नि0 मु0 चुर्खी वाल जालौन एवं श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री शिव शक्ति सिंह, नि0 मु0 चुर्खी वाल जालौन समाप्त हो गयी हैं। श्रीमती रेखा सिंह एक मात्र मालकिन हैं। (प्रोपराइटर) हैं।

रेखा सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति के रिटायरमेन्ट अभिलेखों में मेरा नाम राज चौहान अंकित है, जबकि मेरे आधार कार्ड और मतदाता पहचान-पत्र में राजकुमारी है। अतः भविष्य में मुझे राजकुमारी के नाम से जाना और पहचाना जाये।

श्रीमती राजकुमारी,
पत्नी श्री प्रदीप कुमार चौहान,
भूतपूर्व नौ सेना नं0-109929,
रैंक-CHERA, नि0 193 शंकराचार्य नगर,
यशोदानगर, कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम अजय कुमार सिंह से बदलकर अजय सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे अब अजय सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, पता 126 लक्ष्मणपुरी कालोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226016 के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

अजय सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हीरा इन्टरप्राइजेज, ए-44, नवीन गल्ला मण्डी, ललितपुर वर्तमान में पंजीकृत है जिसके साझेदारों का विवरण 1–श्री नितिन कुमार जैन, 2–श्री शुभम जैन, 3–श्री विनय कुमार जैन है। जिसमें श्री नितिन कुमार जैन 25 जनवरी, 2021 से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा नये साझेदार के रूप में प्रथम जैन पुत्र श्री विनय कुमार जैन, निवासी वाटर वर्क्स के पास तालाबपुरा, ललितपुर फर्म में शामिल हो गये हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जा रहा है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

शुभम् जैन,
साझेदार,
मेसर्स हीरा इण्टरप्राईजेज,
ए-44, नवीन गल्ला मण्डी, ललितपुर (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बुन्देला एसोसिएट, 58, बसन्त बिहार कालोनी, ललितपुर, वर्तमान पंजीकृत है जिसके साझेदारों का विवरण 1–श्री लाखन सिंह, 2–श्री इन्द्रपाल सिंह, 3–श्रीमती रैन कुमारी, 4–मोहम्मद हबीब, 5–श्रीमती रजनी राजा हैं। जिसमें से श्रीमती रैन कुमारी की मृत्यु दिनांक 05 जुलाई, 2020 को हो गयी तथा साझेदार श्री इन्द्रपाल सिंह एवं मो0 हबीब फर्म से 06 जुलाई, 2020 को पृथक् हो गये हैं नये साझेदार के रूप में श्रीमती छोटी राजा पत्नी इन्द्रपाल सिंह, अर्जुन राजा पुत्र इन्द्रपाल सिंह एवं मोहम्मद नसीब खान पुत्र श्री मो0 हबीब खान फर्म में शामिल हो गये हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जा रहा है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचरिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

श्री लाखन सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लाखन सिंह, 58, बसन्त बिहार कालोनी, ललितपुर, वर्तमान पंजीकृत है जिसके साझेदारों का विवरण 1–श्री लाखन सिंह, 2–श्री धर्मेन्द्र सिंह, 3–श्रीमती रैन कुमारी, 4–मोहम्मद हबीब, 5–श्रीमती अर्जुन राजा हैं। जिसमें से श्रीमती रैन कुमारी की मृत्यु दिनांक 05 जुलाई, 2020 को हो गयी तथा साझेदार श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं मो0 हबीब फर्म से 06 जुलाई, 2020 को पृथक् हो गये हैं नये साझेदार के रूप में श्रीमती रजनी राजा एवं मोहम्मद नसीब खान फर्म में शामिल हो गये हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जा रहा है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचरिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

श्री लाखन सिंह।

पी0एस0यू0पी0–44 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।